<u>भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/01/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 18 मार्च, 2026

<u>अंतिम जॉंच परिणाम</u>

<u>(मामला सं. – एडीडी (ओआई) – 01/2025)</u>

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच – के संबंध में

फा. सं. 6/01/2025-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. मै. इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. तथा वियतनाम (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है ।

2. और यत:, आवेदक द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च 2025 की जॉंच शुरूआत अधिसूचना, फाइल संख्या फा.सं. 6/01/2025-डीजीटीआर, के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की, ताकि संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. <u>प्रक्रिया</u>

4. संबद्ध जॉंच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

4.1. जॉंच की शुरूआत

i. उपर्युक्त नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संबद्ध देशों से इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के पाटन का आरोप लगाया गया था।

ii. उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार, जॉंच की शुरूआत करने से पूर्व प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

iii. नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/01/2025-डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च 2025, को जारी करते हुए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की।

iv. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने जॉंच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी।

4.2. आवेदन के अगोपनीय अंश का परिचालन

i. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश (एनसीवी) की एक प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावास को प्रदान की।

4.3. संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी

i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

ii. प्राधिकारी ने भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देशों की सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे जॉंच शुरूआत अधिसूचना और प्रश्नावली को संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को अग्रेषित करें तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

iii. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क. ह्योसंग कॉरपोरेशन
ख. यांताई तायहो एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
ग. इनविस्टा
घ. हुआफोन केमिकल कंपनी लिमिटेड
ड़. हांगझोउ किंगयुन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
च. ह्योसंग स्पैन्डेक्स (जियाशिंग) कंपनी लिमिटेड
छ. तैक्वांग सिंथेटिक फाइबर (चांगशू) कंपनी लिमिटेड
ज. ह्योसंग वियतनाम कंपनी

iv. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. शिनशियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
ख. झूजी किंगरोंग न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
ग. हांगझोउ किंगयुन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन जन. गण.)
घ. फाइबर 2 फैशन एल.एल.सी.-एफजेड
ड़. ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड (वियतनाम)
च. एचएस ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड ('एचएस एचएसवीएन कंपनी लिमिटेड') (वियतनाम)

4.4. आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी

i. प्राधिकारी ने जॉंच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को अग्रेषित की, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी:

क. ऑरो स्पिनिंग मिल्स
ख. आरवी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
ग. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
घ. बीएसटी टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
ड़. ब्लाउमन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
च. बॉम्बे रेयॉन फैशन्स लिमिटेड
छ. दीपक इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
ज. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सी.आई.टी.आई.)
झ. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन (आई.एस.ए.)
ञ. इंडियन वूलन मिल्स फेडरेशन
ट. फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री

ii. उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों या उपभोक्ताओं ने निर्धारित प्रारूप में आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. रीगन फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया
ख. सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड
ग. वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड
घ. सीताराम स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
ड़. ह्योसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

iii. अन्य उत्पादक ह्योसंग इंडिया ने भी जाँच के दौरान अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं और चीन जन. गण. के विरुद्ध शुल्क लगाए जाने के समर्थन में जाँच का समर्थन किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं की ओर से विधिक अनुरोध भी प्रस्तुत किए गए हैं:

क. डेनिम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन
ख. संगम इंडिया लिमिटेड
ग. आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड
घ. एलएनजे डेनिम
ड़. जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड

iv. जिन निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है या इस जाँच से संबंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है।

4.5. जाँच अवधि तथा क्षति अवधि

i. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 माह) की है। वर्तमान जाँच के लिए क्षति जाँच अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से जून 2024 तथा पीओआई है।

4.6. आगे की प्रक्रियाएँ

i. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा डीजी-सिस्टम्स से अनुरोध किया गया कि वे क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयात का सौदा आधारित विवरण उपलब्ध कराएँ। प्राधिकारी को यह आँकड़े प्राप्त हुए और सौदों की विधिवत जाँच के पश्चात आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आँकड़ों पर भरोसा किया गया।

ii. प्राधिकारी ने सार्वजनिक हित तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्क के प्रभाव का आकलन करने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के साथ भी साझा की गई। इसके अंतर्गत प्राप्त संगत अनुरोधों की अंतिम जॉच परिणाम में समुचित रूप से जाँच की गई है।

iii. निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान कार्यवाही में किए गए अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय अंश प्राधिकारी के साथ-साथ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रेषित करें।

iv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, जहाँ आवश्यक समझा गया, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को उस जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

v. इस जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जाँच के लिए संगत माने जाने की सीमा तक, इन अंतिम जॉच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।

vi. सभी हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त समय बढ़ाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 23.04.2025 तक अतिरिक्त समय प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों/अनुरोधों की जाँच के पश्चात किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति के पाठ में संशोधन किया। इसके पश्चात पीयूसी के अंतिम दायरे तथा पीसीएन पद्धति को दिनांक 21.05.2025 के पत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया और इसके बाद प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का समय प्रदान किया गया।

vii. नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन होने के कारण 26 दिसंबर 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। मौखिक सुनवाई

में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत किए जाएं।

viii. नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार जहाँ भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक जानकारी देने से मना किया है या अन्यथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जाँच में महत्वपूर्ण रुप से बाधा उत्पन्न की है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जॉच परिणाम दर्ज किए हैं।

ix. नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई। संतुष्ट होने पर जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया। जहाँ संभव हुआ वहाँ गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को उस जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

x. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का सत्यापन किया। वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आँकड़ों पर विचार किया है।

xi. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का परिकलन किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत तथा भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। एनआईपी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।

xii. जाँच के आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए, जो अंतिम जॉच परिणाम का आधार बने, एक प्रकटन विवरण दिनांक 5 मार्च 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया और उन्हें इस पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 12 मार्च 2026 तक का समय प्रदान किया गया। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे संगत और दोहराई नहीं गई पाई गईं, इस अंतिम जॉच परिणाम में विचार किया गया है।

xiii. प्राधिकारी ने जाँच के दौरान घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा अनुरोधों की उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान प्रयोजनार्थ संगत माने जाने की सीमा तक जाँच की, और अंतिम जॉच परिणाम के निर्धारण में उन पर विचार किया।

xiv. इस अंतिम जॉच परिणाम में "***" चिह्न ऐसी सूचना को दर्शाता है जो किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है और जिसे नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।

xv. संबद्ध जॉच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर इस प्रकार है: 1 अमरीकी डालर = 84.28 रुपये।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) तथा समान वस्तु</u>

5. जॉच शुरूआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद है:

'निम्नलिखित को छोड़कर, सभी डेनियर के इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न:

क. काले रंग को छोड़कर रंगीन इलास्टोमेरिक यार्न,
ख. बीम पर इलास्टोमेरिक यार्न,
ग. "लाइक्रा®" ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तु, तथा
घ. डायपर में प्रयोग के लिए इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न।'"

4. आवेदक के अनुसार, "लाइक्रा®" ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तु को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि यह एक विशेषीकृत और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जो प्रक्रिया नियंत्रण स्थितियों के अंतर्गत निर्मित किया जाता है और जो पेटेंट द्वारा संरक्षित है। व्यावसायिक रूप से भी, लाइक्रा की कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांडों के इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न की तुलना में काफी अधिक होती है।

5. बाजार की शब्दावली में, इस उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्पैन्डेक्स या इलास्टेन। तकनीकी दृष्टि से इन्हें खंडित पॉलीयूरीथेन के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें "सॉफ्ट" अथवा लचीले खंड "हार्ड" अथवा कठोर खंडों के साथ जुड़े होते हैं। इससे इस फाइबर को अंतर्निहित और स्थायी लोच प्राप्त होती है। यह एक इलास्टोमेरिक फाइबर है, जिसका व्यापक रूप से स्ट्रेच परिधानों में एक छोटे घटक के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि खिंचाव के साथ रिकवरी प्रदान किया जा सके।

6. स्पैन्डेक्स यार्न मुख्य रूप से ऐसे परिधानों के निर्माण में उपयोग किया जाता है जिनमें अत्यधिक आराम और फिट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इनका उपयोग होजरी, स्विमसूट, एरोबिक या व्यायाम परिधान, स्की पैंट, गोल्फ जैकेट, डिस्पोजेबल डायपर, कमर बैंड, ब्रा स्ट्रैप तथा ब्रा साइड पैनल आदि के निर्माण में किया जाता है। यह ब्रा कप जैसे आकारयुक्त परिधानों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। स्पैन्डेक्स कपड़ों का उपयोग संपीड़न परिधानों के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे सर्जिकल होज़, सपोर्ट होज़, साइकिल पैंट, फाउंडेशन गारमेंट्स आदि। इलास्टोमेरिक यार्न को अक्सर अन्य कपड़ों जैसे कपास, नायलॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि परिधान को अतिरिक्त आराम का स्तर प्रदान किया जा सके। निटवियर के लोचदार गुण, अर्थात् खिंचाव और पुनःस्थापन, आराम पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं तथा लचीलापन और स्वतंत्र गति प्रदान करते हैं। तैयार उत्पाद में सामान्यतः इलास्टोमेरिक यार्न का बहुत ही कम प्रतिशत उपयोग किया जाता है, जो इसके उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर करता है। कपास के बुने हुए कपड़ों के लोचदार गुणों को सुधारने के लिए सामान्यतः इलास्टोमेरिक यार्न को कपड़े में सम्मिलित किया जाता है।

7. संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्षक 54 "मानव निर्मित फिलामेंट; मानव निर्मित वस्त्र सामग्रियों के स्ट्रिप्स और इसी प्रकार की वस्तुएँ" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 54041100 है, यद्यपि इन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 5402, 5403 और 5404 के अंतर्गत भी वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है। यह भी अनुरोध किया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के उत्पाद दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

6. हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 23.04.2025 तक का समय प्रदान किया गया था। तत्पश्चात प्राधिकारी ने उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण किया और अंतिम पीसीएन को दिनांक 21.05.2025 के पत्र के माध्यम से अधिसूचित किया। पीसीएन की अधिसूचना के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध दायर किए गए हैं:

ख.1. <u>उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

7. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में कुछ ऐसे पीसीएन हैं जिनमें नकारात्मक क्षति मार्जिन है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे पीसीएन उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं। अतः नकारात्मक क्षति मार्जिन वाले पीसीएन को पीयूसी के दायरे में शामिल करने से समग्र क्षति आकलन विकृत और बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत होगा तथा इससे उन उत्पाद प्रकारों पर भी शुल्क लगाया जाएगा जो उचित कीमत से अधिक कीमत पर आयात किए जा रहे हैं और जो क्षतिकारी नहीं हैं।

ii. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न है। ह्योसंग इंडिया पीयूसी का एक घरेलू विनिर्माता है और वह ऐसे उत्पादों का उत्पादन करता है जो भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में आयातित उत्पाद के समान वस्तु हैं।

iii. उत्पाद तुलनीयता के संबंध में कोई विवाद नहीं है। घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद तथा आयातित उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यों तथा अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों के संदर्भ में तुलनीय हैं। अतः ह्योसंग इंडिया समान वस्तु के उत्पादक के रूप में पात्र है।

ख.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

8. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की पूरी रेंज का उत्पादन कर रहा है। वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "सभी डेनियर के इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" हैं। इन फिलामेंट यार्न को सामान्यतः स्पैन्डेक्स या इलास्टेन भी कहा जाता है। संबद्ध वस्तु को डेनियर के आधार पर वर्णित किया जाता है और सामान्यतः 10 से 1680 डेनियर की रेंज में बेचा जाता है। घरेलू उद्योग के पास इन सभी डेनियर की संपूर्ण श्रेणी का उत्पादन करने की क्षमता है।

ii. निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

क. काले रंग को छोड़कर रंगीन इलास्टोमेरिक यार्न;
ख. बीम पर इलास्टोमेरिक यार्न;
ग. "लाइक्रा®" ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तु;
घ. डायपर में प्रयोग के लिए इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न।

iii. घरेलू उद्योग के अनुसार, "लाइक्रा®" ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तु को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि यह एक विशेषीकृत और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जो प्रक्रिया नियंत्रण स्थितियों के अंतर्गत निर्मित किया जाता है और जो पेटेंट द्वारा संरक्षित है। व्यावसायिक रूप से भी, लाइक्रा की कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांडों के इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न की तुलना में काफी अधिक होती है।

iv. बाजार की सामान्य भाषा में इस उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्पैन्डेक्स या इलास्टेन। तकनीकी दृष्टि से इन्हें खंडित पॉलीयूरीथेन के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें "सॉफ्ट" अथवा लचीले खंड "हार्ड" अथवा कठोर खंडों के साथ जुड़े होते हैं। इससे इस फाइबर को अंतर्निहित और स्थायी लोच प्राप्त होती है। यह एक इलास्टोमेरिक फाइबर है, जिसका व्यापक रूप से स्ट्रेच परिधानों में एक छोटे घटक के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि खिंचाव के साथ पुनःस्थापन प्रदान किया जा सके।

v. स्पैन्डेक्स यार्न मुख्य रूप से ऐसे परिधानों के निर्माण में उपयोग किया जाता है जिनमें अत्यधिक आराम और फिट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इनका उपयोग होजरी, स्विमसूट, एरोबिक या व्यायाम परिधान, स्की पैंट, गोल्फ जैकेट, डिस्पोजेबल डायपर, कमर बैंड, ब्रा स्ट्रैप तथा ब्रा साइड पैनल आदि के निर्माण में किया जाता है। यह ब्रा कप जैसे आकारयुक्त परिधानों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। स्पैन्डेक्स कपड़ों का उपयोग संपीड़न परिधानों के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे सर्जिकल होज़,

सपोर्ट होज़, साइकिल पैंट, फाउंडेशन गारमेंट्स आदि। इलास्टोमेरिक यार्न को अक्सर अन्य कपड़ों जैसे कपास, नायलॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि परिधान को अतिरिक्त आराम का स्तर प्रदान किया जा सके। निटवियर के लोचदार गुण, अर्थात् खिंचाव और पुनःस्थापन, आराम पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं तथा लचीलापन और स्वतंत्र गति प्रदान करते हैं। तैयार उत्पाद में सामान्यतः इलास्टोमेरिक यार्न का बहुत ही कम प्रतिशत उपयोग किया जाता है, जो इसके उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर करता है। कपास के बुने हुए कपड़ों के लोचदार गुणों को सुधारने के लिए सामान्यतः इलास्टोमेरिक यार्न को कपड़े में मिश्रित किया जाता है।

vi. संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्ष 54 "मानव निर्मित फिलामेंट; मानव निर्मित वस्त्र सामग्रियों के स्ट्रिप्स और इसी प्रकार की वस्तुएँ" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 54024400 तथा 54041100 है। यह भी अनुरोध किया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

vii. नकारात्मक क्षति मार्जिन वाले पीसीएन को जॉच से बाहर रखने के मुद्दे के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि नकारात्मक क्षति मार्जिन वाले पीसीएन को बाहर करना पीसीएन पद्धति के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा। पीसीएन पद्धति केवल एक उपकरण है, जिसका उद्देश्य पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 तथा नियमावली के अनुबंध-I के अंतर्गत उत्पाद के अंतर को ध्यान में रखते हुए उचित कीमत तुलना सुनिश्चित करना है, यह पीयूसी के दायरे को बदलने या संशोधित करने का कोई तंत्र नहीं है। पीसीएन स्तर पर गणना किए गए क्षति मार्जिन पीयूसी को पुनर्परिभाषित नहीं करते और न ही कर सकते हैं, क्योंकि यह सुस्थापित न्यायिक सिद्धांत है कि शुल्क पूरे पीयूसी स्तर पर लगाया जाता है। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो नकारात्मक मार्जिन वाले पीसीएन को बाहर करने की आवश्यकता निर्धारित करता हो; इसके विपरीत, इस विषय पर उपलब्ध न्यायिक दृष्टांत, जिसमें विश्व व्यापार संगठन के समक्ष बेड लिनेन विवाद में अपीलीय निकाय का निर्णय भी शामिल है, यह पुष्टि करता है कि पाटनरोधी शुल्क केवल संपूर्ण उत्पाद पर ही लगाया जा सकता है। अतः पीसीएन को चुनिंदा रूप से बाहर करने का अनुरोध विधिक रूप से असंगत है और वस्तुतः यह अवैध 'ज़ीरोइंग' के समान है, जिससे उच्चतर मार्जिन निर्धारित होंगे।

ख.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

9. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, उन्हें संगत माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा जॉच की गई और उनका उपयुक्त रूप से समाधान किया गया।

10. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "सभी डेनियर के इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" हैं। इन फिलामेंट यार्न को सामान्यतः स्पैन्डेक्स या इलास्टेन भी कहा जाता है। संबद्ध वस्तु को डेनियर के आधार पर वर्णित किया जाता है और सामान्यतः 10 से 1680 डेनियर की रेंज में बेचा जाता है। घरेलू उद्योग के पास इन सभी डेनियर की संपूर्ण रेंज का उत्पादन करने की क्षमता है। निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

क) रंगीन इलास्टोमेरिक यार्न;
ख) बीम पर इलास्टोमेरिक यार्न;
ग) "लाइक्रा®" ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तु;
घ) डायपर में प्रयोग के लिए इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न।

11. बाजार की शब्दावली में इस उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्पैन्डेक्स या इलास्टेन। तकनीकी दृष्टि से इन्हें खंडित पॉलीयूरीथेन के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें "सॉफ्ट" अथवा लचीले खंड "हार्ड" अथवा कठोर खंडों के साथ जुड़े होते हैं। इससे इस फाइबर को अंतर्निहित और स्थायी लोच

प्राप्त होती है। यह एक इलास्टोमेरिक फाइबर है, जिसका व्यापक रूप से स्ट्रेच परिधानों में एक छोटे घटक के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि खिंचाव के साथ पुनःस्थापन प्रदान किया जा सके।

12. इलास्टोमेरिक यार्न को अक्सर अन्य कपड़ों जैसे कपास, नायलॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि परिधान को अतिरिक्त आराम का स्तर प्रदान किया जा सके। निटवियर के लोचदार गुण, अर्थात् खिंचाव और पुनःस्थापन, आराम पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं तथा लचीलापन और स्वतंत्र गति प्रदान करते हैं। तैयार उत्पाद में सामान्यतः इलास्टोमेरिक यार्न का बहुत ही कम प्रतिशत उपयोग किया जाता है, जो इसके उपयोग पर निर्भर करता है। कपास के बुने हुए कपड़ों के लोचदार गुणों को सुधारने के लिए सामान्यतः इलास्टोमेरिक यार्न को कपड़े में मिश्रित किया जाता है।

13. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 54 "मानव निर्मित फिलामेंट; मानव निर्मित वस्त्र सामग्रियों के स्ट्रिप्स और इसी प्रकार की वस्तुएँ" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 54041100 है, यद्यपि इन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 5402, 5403 और 5404 के अंतर्गत भी वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में उत्पाद का विवरण प्रभावी रहेगा।

14. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में पीसीएन प्रस्तावित किए थे। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को उन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया, ताकि वर्तमान जाँच के लिए पीसीएन को अंतिम रूप दिया जा सके। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों/अनुरोधों की जॉंच करने के पश्चात प्राधिकारी ने दिनांक 21.05.2025 को निम्नलिखित पीसीएन जारी किए। प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ इन्हीं पीसीएन का उपयोग किया है।

क्र. सं.	प्रकार	मूल्य	पीसीएन कोड
1	कोन	सी	सी
2	डेनियर रेंज (व्याख्या दी गई है)	15 डेनियर तक	सी00000015
3		15 से अधिक और 25 डेनियर तक	सी00150025
4		25 से अधिक और 35 डेनियर तक	सी00250035

5		35 से अधिक और 45 डेनियर तक	सी00350045
6		45 से अधिक और 55 तक डेनियर	सी00450055
7		55 से अधिक और 65 तक डेनियर	सी00550065
8		65 से अधिक और 75 तक डेनियर	सी00650075
9		75 से अधिक और 85 डेनियर तक आदि।	सी00750085

15. जिन पीसीएन में नकारात्मक क्षति मार्जिन है, उनके अपवर्जन के संबंध में यह नोट किया गया है कि अपवर्जन का अनुरोध न तो विधि द्वारा समर्थित है और न ही तर्क द्वारा, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकार अपने उस दावे को पुष्ट करने के लिए कोई विधिक आधार प्रस्तुत करने में भी असफल रहे हैं, जिसमें उन्होंने नकारात्मक क्षति मार्जिन वाले पीसीएन को बाहर करने का अनुरोध किया था। उपर्युक्त के मद्देनज़र, प्राधिकारी इस अनुरोध में कोई विश्वसनीयता नहीं पाते हैं और पुष्टि करते हैं कि वर्तमान जाँच में किसी भी प्रकार का अपवर्जन आवश्यक नहीं है।

16. इसके अतिरिक्त, नियम 2(घ) के संदर्भ में, रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद, आयातित संबद्ध उत्पाद के साथ भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं। अतः प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन संबद्ध उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. <u>घरेलू उद्योग का दायरा एवं स्थिति</u>

ग.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

17. घरेलू उद्योग के दायरे एवं स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. ह्योसंग इंडिया विचाराधीन उत्पाद का एक घरेलू उत्पादक है और इसने घरेलू उद्योग (डीआई) द्वारा दायर आवेदन को, जहाँ तक यह चीन जन. गण. से आयात से संबंधित है, औपचारिक रूप से समर्थन दिया है। इस संबंध में एक समर्थन पत्र माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी (डीए) को प्रस्तुत किया गया था।

ii. ह्योसंग इंडिया ने वर्ष 2018 में स्थापना के बाद से भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए निवेश किया है तथा अक्टूबर 2019 में उत्पादन प्रारंभ किया। जाँच अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में आधार वर्ष की तुलना में 82% की वृद्धि हुई, जबकि उत्पादन और घरेलू बिक्री में क्रमशः 54% और 50% की वृद्धि हुई। अतः ह्योसंग इंडिया नियमावली के अंतर्गत एक घरेलू उत्पादक होने की अपेक्षाओं को पूरा करता है और वर्तमान जाँच का, जहाँ तक यह चीन जन. गण. से आयात से संबंधित है, समर्थन करता है।

ग.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

18. जाँच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे एवं स्थिति के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. यह आवेदन मै. इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। आवेदक कुल पात्र उत्पादन के 100% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में एकमात्र अन्य उत्पादक, अर्थात् ह्योसंग इंडिया प्रा. लि., ने स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात किया है और वे संबद्ध देशों के निर्यातकों से संबंधित भी हैं, अतः नियम 2(ख) के अनुसार वे घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं हैं।

ख. आवेदक ने सम्पूर्ण क्षति जाँच अवधि के दौरान न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं।

ग.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जॉंच</u>

19. नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से आशय उन घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में शामिल हैं और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि में लगे हुए हैं, अथवा ऐसे उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है; किन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उस वस्तु के आयातक हों, तो ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में समझा जा सकता है।"

20. यह आवेदन मै. इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख उत्पादक है। भारत में संबद्ध वस्तु का केवल एक और उत्पादक है, अर्थात् ह्योसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचआईपीएल)।

21. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबंधित है और न ही संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से संबंधित है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। एचआईपीएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों के संबंधित निर्यातकों ने संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है (वियतनाम से होने वाले समस्त निर्यात उनकी संबंधित कंपनी द्वारा किए गए हैं)। अतः प्राधिकारी ने एचआईपीएल को एक घरेलू उत्पादक के रूप में माना है, परंतु नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग नहीं माना है।

22. रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, आवेदक का भारत के कुल उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है। इसके साथ ही, प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>गोपनीयता</u>

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह कि घरेलू उद्योग ने सूचना को लागू व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितम्बर 2018 तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार बिल्कुल सही प्रस्तुत नहीं किया है।

ii. यह भी अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय जानकारी के सार को यथोचित रूप से समझा जा सके। तथापि, वर्तमान मामले में अगोपनीय प्रकटन अस्पष्ट और सामान्यीकृत हैं तथा उसमें आवश्यक संख्यात्मक विवरणों का अभाव है, जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों की प्रभावी टिप्पणियाँ या प्रतिवाद प्रस्तुत करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. भागीदार उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के संबंध में निर्धारित अपेक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। प्रश्नावली के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः गोपनीय के रूप में दावा किए गए हैं तथा उनका कोई सार्थक सारांश प्रदान नहीं किया गया है।

ii. निर्यातकों ने अपने उत्पादकों के विवरण या उनके विधिक स्वरूप सहित अन्य ऐसे विवरण भी उपलब्ध नहीं कराए हैं जिन्हें गोपनीय नहीं रखा जा सकता है। उनके प्रत्युत्तरों के अगोपनीय अंश ने घरेलू उद्योग की प्राधिकारी की सहायता करने अथवा अपने वैध हितों की रक्षा करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है।

iii. प्रतिवादियों ने व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितम्बर 2018 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है।

iv. प्राधिकारी द्वारा क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किए गए सभी आर्थिक मापदंड व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितम्बर 2018 के अनुपालन में प्रदान किए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों को यह सिद्ध करना चाहिए कि अन्य मापदंडों के प्रकटन न होने से उन्हें क्या पूर्वाग्रह हुआ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने गोपनीय के रूप में दावा की गई जानकारी के लिए औचित्य भी प्रदान किया है।

v. आयातकों ने ऐसी जानकारी का विवरण प्रदान नहीं किया है जो जाँच के प्रयोजनार्थ अपर्याप्त है और उन्होंने केवल सामान्य कथन किए हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जॉंच

25. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का, जहाँ तक उन्हें संगत माना गया, प्राधिकारी द्वारा जॉंच की गई और उसी अनुसार उनका निस्तारण किया गया। प्राधिकारी यह नोट करता है कि घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ संगत सभी जानकारी का अगोपनीय अंश प्रदान किया है।

26. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जॉंच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक पाया, वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी का गोपनीय के रूप में दावा किया है।

ड़. विविध अनुरोध

ड़.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. यह कि ह्योसंग इंडिया, जो समर्थक उद्योग है, ने व्यापार सूचना संख्या 13/2018 के अनुसार आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। आगे यह भी आशंका व्यक्त की गई कि चूँकि समर्थक उद्योग अच्छा निष्पादन कर रहा है, इसलिए उन्होंने आवश्यकतानुसार आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

ii. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा दक्षिण कोरिया से आयात को संबद्ध देशों के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव रिकार्ड में उपलब्ध किसी सत्यापन योग्य साक्ष्य से समर्थित नहीं है। ऐसे प्रमाण के अभाव में दक्षिण कोरिया से आयात को बाहर रखने से कुल आयात मात्रा के विश्लेषण में विकृति आएगी और संबद्ध देशों से आयात के हिस्से को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाएगा। आगे यह भी अनुरोध किया गया कि यदि दक्षिण कोरिया से आयात को बाहर नहीं रखा जाता है, तो वियतनाम से आयात पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) में निर्धारित तीन प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से कम हो सकता है।

iii. यह कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का नियमित प्रयोक्ता रहा है। घरेलू उद्योग को पीओवाई, पीएसएफ, एफडीवाई तथा संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों से लाभ प्राप्त हुआ है। ये शुल्क दशकों से प्रभावी रहे हैं।

iv. ह्योसंग समूह द्वारा यह अनुरोध किया गया कि ह्योसंग कोरिया को प्रथम जाँच में तथा उसके निर्णायक समीक्षा जाँच में भी शून्य शुल्क प्रदान किया गया था। आगे यह भी अनुरोध किया गया कि वियतनाम से लगाए गए शुल्क भी नाममात्र थे, जिन्हें उनके द्वारा चुनौती दी गई थी। उक्त चुनौती शुल्कों की वापसी के पश्चात निरर्थक हो गई। ह्योसंग समूह ने यह भी रेखांकित किया कि वर्ष 2019 से घरेलू विनिर्माण परिचालन की स्थापना और विस्तार के माध्यम से भारत के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता रही है। इस बात पर भी बल दिया गया कि ह्योसंग इंडिया ने क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि की है, जो मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत सतत निवेश को दर्शाता है, जबकि वियतनाम से आयात सीमित, उत्पाद-विशिष्ट रहे हैं और केवल उत्पादन वृद्धि के प्रारंभिक चरण तथा अस्थायी तकनीकी व्यवधानों के दौरान एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में किए गए थे।

v. ह्योसंग इंडिया ने चीन से होने वाली क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन किया है। तथापि उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि वियतनाम से आयात न तो पाटित हैं और न ही क्षतिकारी हैं, इसलिए वियतनाम से किसी भी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी अनुरोध किया कि वे स्वयं भी चीन से आयात के कारण क्षति का सामना कर रहे हैं, जो पाटित और क्षतिकारी हैं।

ड़.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. भागीदार एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि उन्होंने नियम 2(ग) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचार किए जाने के लिए अपने दायित्व का पालन नहीं किया है। आगे यह भी बताया गया कि किसी भी भागीदार एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों की पूर्ण सूची तक प्रस्तुत नहीं की, जिससे माननीय प्राधिकारी उनके हितबद्ध पक्षकार के रूप में दर्जे का निर्धारण कर सके। चूँकि उन्होंने निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है, इसलिए घरेलू उद्योग ने उनके अनुरोधों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है।

ii. पीएसएफ, पीओवाई और एफडीवाई के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि अपनी स्थापना के समय से ही वे केवल इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का निर्माण कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी पीएसएफ, पीओवाई और एफडीवाई का उत्पादन नहीं किया है। किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वर्तमान कार्यवाही की जॉंच स्वतंत्र रूप से सत्यापित आँकड़ों और प्रचलित बाज़ार परिस्थितियों के आधार पर किया जाना आवश्यक है, अतः पूर्व जाँचों पर निर्भरता का वर्तमान जाँच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

iii. ह्योसंग इंडिया द्वारा लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार समर्थक की जानकारी प्रस्तुत न किए जाने संबंधी अनुरोधों के संबंध में यह बताया गया कि उन्होंने केवल उस सीमा तक समर्थन दिया है जहाँ तक यह चीन जन गण से आयात से संबंधित है, इसलिए उन्हें संपूर्ण जाँच के समर्थक के रूप में नहीं माना जा सकता। चूँकि वे नियम 2(ख) के अनुसार अपात्र हैं, इसलिए उनका समर्थन या विरोध जाँच की ग्राह्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालता।

iv. भारत में ह्योसंग इंडिया के प्रचालन से संबंधित अनुरोधों के संबंध में घरेलू उद्योग ने कहा कि ह्योसंग इंडिया की उपस्थिति पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों का एक सकारात्मक प्रभाव है। उनके पूर्व शुल्कों के संबंध में घरेलू उद्योग ने कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि वे वर्तमान जाँच का विषय नहीं हैं।

v. दक्षिण कोरिया से आयात को गलत तरीके से बाहर रखने के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि दक्षिण कोरिया से आयात को वर्तमान जाँच के दायरे से सही रूप से बाहर रखा गया है क्योंकि ह्योसंग कोरिया के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक था और दक्षिण कोरिया में ह्योसंग के अतिरिक्त अन्य एकमात्र उत्पादक ने संचालन बंद कर दिया है, जिससे कोरिया से क्षतिकारी पाटित आयात की कोई संभावना नहीं रह जाती। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दक्षिण कोरिया से आयात को क्षति का कारण ठहराने या यह सुझाव देने का प्रयास कि उनका अपवर्जन वर्तमान जाँच को प्रभावित करता है, तथ्यात्मक रूप से गलत, विधिक रूप से असंगत और रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है।

ड़.3. प्राधिकारी द्वारा जॉंच

29. पाटनरोधी शुल्कों के इतिहास से संबंधित अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया गया कि प्राधिकारी ने इस जाँच को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार कढ़ाई से संचालित किया है। प्राधिकारी का मत है कि यदि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जाना सिद्ध होता है जिससे उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति होती है, तो घरेलू उद्योग को कानून के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यदि विशिष्ट निर्यातक यह प्रदर्शित करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान उन्होंने संबद्ध वस्तुओं का पाटन नहीं किया है, तो कोई भी शुल्क नहीं लगाया जा सकता। यह भी नोट किया गया कि घरेलू उद्योग पीएसएफ, पीओवाई और एफडीवाई का उत्पादन नहीं करता है, अतः उन उत्पादों पर लागू कोई भी उपाय वर्तमान जाँच पर प्रभाव नहीं डालते हैं।

30. कुछ प्रयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों को निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का पालन न करने के कारण अस्वीकार किए जाने संबंधी घरेलू उद्योग की अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने प्रस्तुत विधिक तर्कों को संज्ञान में लिया है और उनकी जॉंच कर वर्तमान जॉंच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर उनका समाधान किया है।

31. दक्षिण कोरिया को संबद्ध देशों के दायरे से गलत तरीके से बाहर रखने के संबंध में यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका/आवेदन में कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटन का कोई आरोप शामिल नहीं था। आगे यह भी नोट किया गया कि घरेलू उद्योग के अनुरोधों से यह स्पष्ट है कि कोरिया के उत्पादकों ने संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण बंद कर दिया है और इसलिए घरेलू उद्योग ने कोरिया को संबद्ध देशों के दायरे से बाहर रखा है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

32. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंधित प्रावधान

33. एडी नियमावली के अनुबंध-I में निम्नानुसार प्रावधान है:

"7.गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । "

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" से आशय ऐसे किसी भी देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी इस रूप में निर्धारित करते हैं कि वह लागत या कीमत संरचनाओं के संदर्भ में बाजार सिद्धांतों के आधार पर संचालित नहीं होता है, जिससे ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री उस वस्तु के उचित मूल्य को नहीं दर्शाती है, जैसा कि उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों में दिया गया है।

(2) यह माना जाएगा कि कोई भी देश जिसे जाँच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है या इस रूप में माना गया है, वह एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

परंतु, यह कि ऐसा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या उस देश की संबंधित फर्में इस मान्यता का खंडन कर सकती हैं, यदि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य प्रदान करें जिससे यह सिद्ध हो सके कि उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर वह देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या—

(क) उस देश की संबंधित फर्मों द्वारा कीमत, लागत और इनपुट, जिनमें कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी की लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्री तथा निवेश शामिल हैं, से संबंधित निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों के आधार पर लिए जाते हैं और इस संबंध में राज्य का कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं है, तथा क्या प्रमुख इनपुट की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य राइट-ऑफ, वस्तु-विनिमय व्यापार तथा ऋणों के समायोजन के माध्यम से भुगतान के संबंध में, पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उत्पन्न महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन हैं;

(ग) ऐसी फर्में दिवालियापन तथा संपत्ति संबंधी कानूनों के अधीन हैं या नहीं, जो फर्मों के संचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी प्रदान करते हैं; और

(घ) विनिमय दरों का रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है।

परंतु, यह कि जहाँ इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर पर्याप्त लिखित साक्ष्य द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि पाटनरोधी जाँच के अधीन एक या अधिक ऐसी फर्मों के लिए बाजार स्थितियाँ विद्यमान हैं, वहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी अनुच्छेद 7 और इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर अनुच्छेद 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

च.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत अथवा पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. यह कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिनिधि देश पद्धति या कॉस्ट-प्लस दृष्टिकोण को अपनाना विधिक रूप से अनुमेय नहीं है, क्योंकि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(घ) के अंतर्गत गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार को सक्षम बनाने वाले प्रावधान 11.12.2016 को उनकी अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो चुके हैं।

ii. यह भी अनुरोध किया गया कि विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे के अंतर्गत भारत की बाध्यताओं तथा विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था के निष्कर्षों के अनुसार, प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का निर्धारण सख्ती से विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुरूप करना आवश्यक है, जो प्रतिवादी चीन के उत्पादकों के सत्यापित आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी वैकल्पिक पद्धति पर।

iii. यह कि उत्पादकों ने सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में अपनी पूर्ण जानकारी डीजीटीआर के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनकी सत्यापन योग्य जानकारी का उपयोग किया जाए।

च.<u>2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन जनवादी गणराज्य के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) पर आधारित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क भ्रामक, अपूर्ण तथा विधिक रूप से अस्थिर हैं। आगे यह भी अनुरोध किया गया कि हितबद्ध पक्षकार यह स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के अनुबंध 7 और 8 उन पर क्यों लागू नहीं होंगे, जबकि ये भारतीय विधिक ढाँचे के अंतर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति तथा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के व्यवहार को विशेष रूप से निर्धारित करते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने अनुच्छेद 15(क)(ii) पर की गई चयनात्मक निर्भरता को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह विधि के अनुसार भी निराधार है।

ii. यह कि वर्तमान जाँच में किसी भी चीन के उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया है और इसलिए प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा ऐसा कोई दावा न किए जाने की स्थिति में बाजार अर्थव्यवस्था का उपचार जाँचने या प्रदान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। घरेलू उद्योग के अनुसार यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) पर किया गया भरोसा भ्रामक है, लागू विधिक ढाँचे के साथ असंगत है तथा वर्तमान जाँच के अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं है, और इसलिए वर्तमान जाँच में इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग ने जाँच की शुरूआत करने के प्रयोजनार्थ अपने आवेदन में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं। आगे यह भी अनुरोध किया गया कि किसी भी चीन के निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया है। अतः उनका सामान्य मूल्य पैरा 7 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुबंध-I के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।

iv. इस प्रकार चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) तीसरे देश से भारत में आयात कीमत के आधार पर, (ख) भारत में बिक्री कीमत के आधार पर, और (ग) भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, आवश्यक समायोजन करते हुए, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ शामिल हैं, किया जा सकता है। यह भी अनुरोध किया गया कि चूँकि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को "किसी अन्य आधार" पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तब लागू किया जाना आवश्यक है जब विधि के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य आधारों को लागू करना संभव न हो।

v. यह कि प्राधिकारी को सभी सहभागी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों/सूचनाओं को स्वीकार करने से पूर्व उनकी गहन जॉच करनी चाहिए।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

36. प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराग्राफों में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया है।

37. कोरिया को प्रतिनिधि देश मानने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने अनुरोध का समर्थन करने के लिए कोई आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में उपलब्ध दिशानिर्देश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

38. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(घ) की समाप्ति के संबंध में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया है।

39. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके में जानकारी प्रदान करने की सलाह दी गई। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. शिनशियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड (चीन जनवादी गणराज्य)
ii. झूजी किंगरोंग न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन जनवादी गणराज्य)
iii. हांगझोउ किंगयुन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन जनवादी गणराज्य)
iv. फाइबर 2 फैशन एल.एल.सी-एफजेड
v. ह्योसंग डोंग नाई, वियतनाम
vi. एचएस ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड

<u>चीन जनवादी गणराज्य के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

40. वर्तमान मामले में किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित कीमत, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । "

41. वर्तमान मामले में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा निर्मित कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई पृथक टैरिफ कोड उपलब्ध नहीं है, जिससे किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को किए गए निर्यात के कीमत पर विचार किया जा सके। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया है, जो आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित है तथा जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए समुचित समायोजन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

i. शिनशियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड (चीन जन. गण.) की निर्यात कीमत

42. शिनशियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड चीन के कंपनी कानून के अंतर्गत निगमित एक शेयरधारिता कंपनी है। जाँच अवधि के दौरान, शिनशियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड ने *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर एक असंबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात् *** के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से (सीआईएफ आधार पर) बेची है। यह भी उल्लेखनीय है कि *** को बेची गई संबद्ध वस्तु को आगे *** नामक एक भारतीय आयातक को पुनः बेचा गया है। भारत को निर्यात की श्रृंखला निम्नानुसार है:

***
|
***
|
***

43. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन तथा अन्य संबंधित व्यय और बैंक प्रभार के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के पश्चात स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत को भारित औसत कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

i. हांगझोउ किंगयुन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक, चीन जन. गण.) की निर्यात कीमत

44. जाँच अवधि के दौरान, हांगझोउ किंगयुन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर बेची है। इनमें से कंपनी ने *** मीट्रिक टन सीधे भारत में असंबद्ध क्रेताओं को बेचा तथा *** मीट्रिक टन एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् *** के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बेचा है।

45. यह भी नोट किया गया है कि हांगझोउ किंगयुन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने *** मीट्रिक टन सीधे भारत में असंबद्ध क्रेताओं को निर्यात किया है, जिसका उत्पादन *** द्वारा किया गया है। भारत को निर्यात की श्रृंखला निम्नानुसार है:

हांगझोउ किंगयुन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
|
├──────────► (प्रत्यक्ष निर्यात)
|
└──────────► ***
|
└──────────► (भारत को निर्यात)

46. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, आंतरिक परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबंधित व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार तथा ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के पश्चात अनुमोदित किया गया है।

47. तदनुसार, पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. <u>झूजी किंगरोंग न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन जन. गण.) की निर्यात कीमत</u>

48. जाँच अवधि के दौरान, *** ने संबद्ध वस्तु के *** मीट्रिक टन *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर बेची हैं। इनमें से कंपनी ने *** मीट्रिक टन सीधे भारत में असंबद्ध क्रेताओं को बेचा तथा *** मीट्रिक टन एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् *** के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बेचा है।

49. यह भी नोट किया गया है कि झूजी किंगरोंग न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने *** मीट्रिक टन सीधे भारत में असंबद्ध क्रेताओं को निर्यात किया है, जिसका उत्पादन *** द्वारा किया गया है। भारत को निर्यात की श्रृंखला निम्नानुसार है:

झूजी किंगरोंग न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

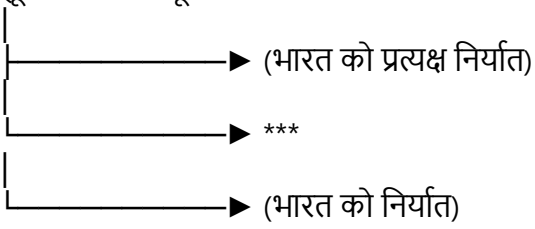

50. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबंधित व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार तथा ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

51. तदनुसार, पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत का भारित औसत कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>चीन जनवादी गणराज्य से असहयोगी निर्यातकों के लिए</u>

52. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य किसी निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा रिपोर्ट किए गए आयात तथा प्रतिवादी उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली उत्तरों पर विचार किया है। चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

<u>वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

53. वियतनाम के दो उत्पादकों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए हैं, जो भारत को वियतनाम से होने वाले समस्त निर्यात को कवर करते हैं। संबद्ध वस्तु के ये दोनों उत्पादक ह्योसंग समूह से संबंधित हैं, अर्थात् एचएस ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड तथा ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड, और दोनों ने संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। तथापि, वियतनाम के ये दोनों उत्पादक एक ही समूह का हिस्सा हैं और उन्होंने पाटन तथा क्षति के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ स्वयं को एकल इकाई के रूप में माना जाने का अनुरोध किया है। एचएस ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड तथा ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड की "समान स्वामित्व संरचना, प्रशासनिक विभाग, तकनीकी सेवा, बिक्री टीम, बिक्री प्रबंधन विभाग, बिक्री कार्यालय, वेतन तथा मानव संसाधन प्रणाली आदि" साझा हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों कंपनियाँ एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं और संबद्ध वस्तु के एक ही ब्रांड (जिसे "क्रिओरा" कहा जाता है) का निर्माण करती हैं। ह्योसंग वियतनाम और ह्योसंग डोंग नाई द्वारा निर्मित उत्पादों तथा उत्पादन प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर, ह्योसंग वियतनाम और ह्योसंग डोंग नाई ने अनुरोध किया है कि उन्हें एकल इकाई के रूप में माना जाए और इसलिए इन दोनों संस्थाओं को एक ही पाटन/क्षति मार्जिन प्रदान किया जाए।

54. ह्योसंग समूह वियतनाम की दोनों कंपनियों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार किया गया और प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि वियतनाम की दोनों उत्पादक कंपनियों को एक ही पाटन मार्जिन प्रदान किया जाए, क्योंकि वे एक ही समूह की संबंधित कंपनियाँ हैं। साथ ही, यह प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया रही है कि संबंधित निर्यातक उत्पादकों या एक ही समूह से संबंधित निर्यातक उत्पादकों को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एकल इकाई के रूप में माना जाए और उनके लिए एक ही पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाए।

<u>एचएस ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

55. जाँच अवधि के दौरान, ह्योसंग वियतनाम ने घरेलू बाजार में संबंधित तथा असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तु के *** मीट्रिक टन *** अमेरिकी डॉलर में बेचे। घरेलू बिक्री का परिमाण भारत को निर्यात की तुलना में पर्याप्त है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री सौदों की पहचान हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की जॉंच की। प्राधिकारी ने यह पाया कि यदि लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री के सभी सौदों पर विचार किया जाता है, और यदि लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से कम होते हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा जाता है। ह्योसंग वियतनाम के मामले में, चूँकि लाभकारी बिक्री 80 प्रतिशत से कम है, इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल सकारात्मक घरेलू बिक्री सौदों पर विचार किया है। ह्योसंग वियतनाम ने आंतरिक परिवहन, ऋण लागत तथा पैकिंग प्रभारों के आधार पर समायोजन का दावा किया है। निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>ह्योसंग वियतनाम की निर्यात कीमत</u>

56. जाँच अवधि के दौरान, ह्योसंग वियतनाम ने संबद्ध वस्तु के *** मीट्रिक टन *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर सीधे संबंधित तथा असंबद्ध भारतीय आयातकों को बेचे थे। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन एवं अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार, कमीशन तथा पैकिंग व्यय के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>ह्योसंग डोंगनाई कंपनी के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

57. जाँच अवधि के दौरान, ह्योसंग डोंग नाई ने घरेलू बाजार में संबंधित तथा असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तु के *** मीट्रिक टन *** अमेरिकी डॉलर में बेचे हैं। घरेलू बिक्री का परिमाण भारत को निर्यात की तुलना में पर्याप्त है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री सौदा की पहचान हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की जॉंच की। प्राधिकारी ने यह पाया कि यदि लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री के सभी सौदों पर विचार किया जाता है, और यदि लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से कम होते हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा जाता है। ह्योसंग डोंगनाई के मामले में, चूँकि लाभकारी बिक्री 80 प्रतिशत से कम है, इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल सकारात्मक घरेलू बिक्री सौदों पर विचार किया है। ह्योसंग डोंग नाई ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत तथा पैकिंग शुल्क के आधार पर समायोजन का दावा किया है। निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>ह्योसंग डोंगनाई का निर्यात कीमत</u>

58. जाँच अवधि के दौरान, ह्योसंग डोंगनाई ने संबद्ध वस्तु के *** मीट्रिक टन *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर सीधे संबंधित तथा असंबद्ध भारतीय आयातकों को बेचे। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन एवं अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, बैंक शुल्क, कमीशन तथा पैकिंग व्यय के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>वियतनाम के अन्य उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

59. वियतनाम के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

देश	**उत्पादक/ निर्यातक**	**मात्रा (एमटी)**	**सामान्य मूल्य (अमडा./ एमटी)**	**निर्यात कीमत (अमडा./ एमटी)**	**पाटन मार्जिन (अमडा./ एमटी)**	**पाटन मार्जिन (%)**	**रेंज**
चीन	शिनजियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	**60-70**
	मेसर्स हांग्जो किंगयुन एडवांस्ड मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	20-30
	मेसर्स झूजीकिंगरोंग न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	30-40
	हांग्जो ग्रुप	***	***	***	***	***	**20-30**
	कोई भी प्रोड्यूसर	***	***	***	***	***	**65-75**
वियतनाम	एचएस ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	5-15
	ह्योसंग डोंगनाई कंपनी	***	***	***	***	***	30-40
	ह्योसंग ग्रुप	***	***	***	***	***	**25-35**
	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	***	**30-40**

<u>छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध</u>

<u>छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

60. क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. वियतनाम से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। यह भी अनुरोध किया गया कि वियतनाम से आयात का मात्रा तथा कीमत प्रभाव नकारात्मक है और इसलिए किसी भी प्रकार की क्षति को वियतनाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया गया कि चीन

जनवादी गणराज्य से आयात कुल मांग वृद्धि के अनुरूप बढ़े हैं तथा उन्होंने घरेलू उत्पादन को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य देशों के हिस्से को लिया है।

ii. यह कि क्षति जाँच अवधि के दौरान कुल आयात में तीव्र गिरावट देखी गई, जबकि उसी अवधि में घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई। यह मात्रात्मक क्षति की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

iii. यह कि आयात कीमत व्यापक रूप से घरेलू कीमतों के साथ समान प्रवृत्ति में चले, जो किसी कीमत दबाव के बजाय वैश्विक बाजार प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं।

iv. यह कि पूर्ववर्ती वर्षों के लिए नकारात्मक कीमत कटौती यह दर्शाती है कि आयात का घरेलू कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे यह भी अनुरोध किया गया कि घरेलू कीमतों में कमी आयात के बजाय सहायक उद्योग से प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।

v. यह कि घरेलू उद्योग के प्रमुख निष्पादन संकेतकों में सुधार देखा गया है, जिसमें स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, रोजगार, उत्पादकता तथा बिक्री मात्रा में वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संकेतक जैसे लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ तथा बाजार हिस्सेदारी में भी क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है, जो भारी क्षति के दावे का खंडन करता है।

vi. यह कि घरेलू उद्योग की कठिनाइयाँ मुख्य रूप से आयात के बजाय आंतरिक तथा संरचनात्मक कारकों के कारण हैं, जैसे संयंत्र संचालन से संबंधित अक्षमताएँ, लागत संरचना, लॉजिस्टिक व्यवस्थाएँ तथा स्थान-विशिष्ट बाधाएँ, जिन्होंने घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूलत: प्रभावित किया हो सकता है। यह भी कहा गया कि उच्च ऊर्जा तथा ओवरहेड लागत, आयातित इनपुट पर निर्भरता तथा वैश्विक कच्ची सामग्री के मूल्यों में उतार-चढ़ाव ने भी उनके वित्तीय निष्पादन को प्रभावित किया होगा।

vii. यह भी अनुरोध किया गया कि वित्तीय मानक जैसे ब्याज भार, कीमत ह्रास तथा पूंजी संरचना से संबंधित निर्णयों को आयात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये पाटन से हुई क्षति के दायरे से बाहर आते हैं। अंतिम जॉच परिणाम में प्राधिकारी को इन कारकों का विश्लेषण करना चाहिए।

viii. यह कि सहायक उद्योग द्वारा आक्रामक क्षमता विस्तार तथा बाजार अधिग्रहण ने घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव डाला है, जिससे आयात के साथ कोई भी कारणात्मक संबंध समाप्त हो जाता है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को अन्य कारकों से हुई क्षति और कथित रूप से विचाराधीन आयात से हुई क्षति के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

61. क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

i. यह कि संरचनात्मक अक्षमताओं, स्थानगत प्रतिकूलताओं, उच्च लॉजिस्टिक लागत, ओवरहेड व्यय तथा इनपुट मूल्यों में अस्थिरता से संबंधित आरोप हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी साक्ष्य के बिना लगाए गए हैं और इसलिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता। आगे यह भी अनुरोध किया गया कि स्रोत निर्धारण तथा लॉजिस्टिक संबंधी निर्णय उचित योजना के माध्यम से व्यावसायिक रूप से अनुकूलित किए जाते हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि चूँकि प्रमुख कच्ची सामग्री भारत में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उनकी खरीद के लिए आयात ही एकमात्र विकल्प है और इसलिए इसे हानि के कारण के रूप में नहीं माना जा सकता।

ii. संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्ची सामग्री भारत में निर्मित नहीं होती हैं और इसलिए उनका आयात करना पड़ता है। यह भी अनुरोध किया गया कि ऐसे आयात गुजरात के निकटतम पत्तन के माध्यम से किए जाते हैं, जो लागत को न्यूनतम करने के प्रयोजनार्थ व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण

स्रोत निर्धारण को दर्शाता है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि किसी भी अतिरिक्त मालभाड़ा व्यय की भरपाई कम श्रम लागत तथा वर्तमान स्थान से संबंधित प्रचालन दक्षताओं जैसे लाभों से हो जाती है, और इसलिए इसे क्षति में योगदान देने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता।

iii. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि चूँकि बाहरी मालभाड़ा लागत को उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसका क्षतिरहित कीमत या क्षति विश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, स्थिर ओवरहेड कुल लागत का केवल एक छोटा भाग (लगभग 5–8%) हैं; अतः ये तत्व वित्तीय निष्पादन में निरंतर गिरावट को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत नगण्य हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि क्षति का वास्तविक कारण पाटित आयातों के परिणामस्वरूप हुई भारी कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण है, और भाड़ा तथा ओवरहेड लागत का उल्लेख केवल वास्तविक क्षति स्रोत से ध्यान भटकाने के प्रयोजनार्थ किया गया है।

v. यह कि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट की अवधि चीन जनवादी गणराज्य से भारत को निर्यात में वृद्धि के साथ मेल खाती है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि इस वृद्धि का समय और परिमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा रहा है, जिससे दोनों के बीच एक मजबूत कारणात्मक संबंध स्थापित होता है। घरेलू उद्योग ने ग्लोबल स्पैन्डेक्स आउटलुक रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है और अनुरोध किया है कि चीन जनवादी गणराज्य में महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार के कारण संबद्ध वस्तु की भारी अधिक आपूर्ति उत्पन्न हो गई है, जिससे मालसूची अत्यधिक हो गई हैं। इस भारी मालसूची ने चीन के उत्पादकों को अतिरिक्त उत्पादन को निर्यात बाजारों, जिनमें भारत भी शामिल है, की ओर ले जाने के लिए विवश किया है।

vi. यह भी अनुरोध किया गया कि अतिरिक्त उत्पादन तथा उच्च मालसूची के कारण चीन के उत्पादक निर्यात के माध्यम से अतिरिक्त स्टॉक को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति में, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि भारत इस अतिरिक्त आपूर्ति का एक प्रमुख गंतव्य बन गया है, जिससे कम कीमत वाले आयात हो रहे हैं जो यदि सुधारात्मक उपाय लागू नहीं किए गए तो घरेलू उद्योग को भारी क्षति का गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

vii. संबद्ध देशों से समग्र रूप से सकारात्मक कीमत कटौती पाई गई है, जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग कीमत दबाव के अधीन है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव को दर्शाती है, जिसमें यदि वे संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं तो उनकी स्थिर लागतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और उनके घाटे भी बढ़ जाएंगे।

viii. बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच भारी अंतर है, जिसे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातकों द्वारा आक्रामक कीमत निर्धारण के कारण पूरा नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप घाटा और पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है।

ix. संबद्ध आयातों ने क्षति अवधि के दौरान लगातार घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बनाए रखा क्योंकि उनकी कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। यह भी अनुरोध किया गया कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम था। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव को दर्शाता है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जॉंच

62. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, *"...सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसे आयातों का उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है...।"*

63. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जाँच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अपने विनिर्माण संयंत्र तक कच्ची सामग्री को लाने में वहन की गई मालभाड़ा लागत के मुद्दे की जाँच की और पाया कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई मालभाड़ा लागत पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में न्यूनतम थी। इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	**मालभाड़ा लागत/ एमटी**	
	पीटीएमईजी	**एमडीआई**
2021-22	***	***
2022-23	***	***
2023-24	***	***
पीओआई	***	***

65. उपर्युक्त से यह नोट किया गया है कि जाँच अवधि के दौरान मालभाड़ा लागत न्यूनतम थी और इसलिए इसे घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

आयातों का संचयी आकलन

66. डब्लूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि जहाँ एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात एक साथ पाटनरोधी जाँच के अधीन हों, वहाँ प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे, केवल तब जब वह यह निर्धारित करे कि:

प्रत्येक देश से आयात के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने पर दो प्रतिशत से अधिक है तथा प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के कुल आयात का तीन प्रतिशत (या उससे अधिक) है; या जहाँ किसी व्यक्तिगत देश से निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ ऐसे आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के कुल आयात का सात प्रतिशत से अधिक हों; और आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त हो।

67. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में उनकी कीमतों पर प्रभाव, और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर उनके परिणामी प्रभाव का वस्तुनिष्ठ जॉंच की जाए।

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई दे। कुछ मापदंडों में गिरावट हो सकती है, जबकि कुछ अन्य में नहीं। प्राधिकारी ने सभी क्षति मापदंडों पर विचार किया है और तत्पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जॉंच की है।

69. प्राधिकारी ने क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। आगामी पैराओं में प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को संबोधित करता है।

छ.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

i. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मांग का निर्धारण सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी देशों से आयात के योग के रूप में किया गया है। संबद्ध वस्तु की स्पष्ट मांग/खपत क्षति अवधि के दौरान निरंतर सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	107	130	158
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	97	140	150
कुल घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	137	153
चीन से आयात	एमटी	1,828	2,067	2,737	3,889
वियतनाम से आयात	एमटी	1,701	1,289	142	672
संबद्ध देशों से आयात	**एमटी**	3,529	3,356	2,879	4,561
अन्य देशों से आयात	एमटी	4,364	3,333	1,833	1,003
कुल आयात	**एमटी**	7,893	6,689	4,712	5,564
कुल मांग	**एमटी**	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	97	119	134

स्रोत: घरेलू उद्योग, ह्योसंग इंडिया तथा डीजीसीआईएंडएस के आयात आँकड़ों द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आधारित

71. उपर्युक्त से, यह नोट किया गया है कि:

क. संबद्ध वस्तु की मांग आधार वर्ष में *** मीट्रिक टन से बढ़कर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन हो गई है।

ख. यह भी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों से नोट किया गया है कि जब से ह्योसंग इंडिया ने भारत में अपने संचालन प्रारंभ किए हैं, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आयात में कमी आई है। यह भी रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी से नोट किया गया है कि जाँच अवधि के दौरान कोरिया के प्रमुख उत्पादकों में से एक अर्थात् टी के केमिकल्स ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बंद कर दिया है और इसलिए टी के केमिकल्स कोरिया से भविष्य में किसी भी आयात की संभावना नहीं है।

ii. आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

72. आयात की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

वर्ष	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	3,529	3,356	2,879	4,561
घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***

वर्ष	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	91	131	147
निम्न के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	104	62	88
भारतीय मांग	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	98	68	97
कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	112	137	183

स्रोत: घरेलू उद्योग, ह्योसंग इंडिया तथा डीजीसीआईएंडएस के आयात आँकड़ों द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आधारित

73. उपर्युक्त से यह नोट किया गया है कि:

क. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जाँच अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है। यह नोट किया गया है कि भारत में खपत /मांग में विचाराधीन आयातों की हिस्सेदारी भी जाँच अवधि में तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बढ़ी है।

ख. भारतीय उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध देशों से आयात वर्ष 2023-24 तक घटे, किन्तु उसके पश्चात जाँच अवधि में पुनः बढ़ गए।

ग. कुल आयातों के सापेक्ष संबद्ध देशों से आयात जाँच अवधि में पूर्ववर्ती किसी भी वर्ष की तुलना में बढ़े हैं।

74. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आयातों में समग्र तथा सापेक्ष दोनों ही रूपों में वृद्धि हुई है।

छ.3.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

75. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद के कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जॉच, यदि कोई हो, कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है।

i. कीमत कटौती

76. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए उत्पाद के पंहुच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच, सभी छूटों तथा करों को घटाकर, व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखाना-द्वार स्तर पर किया गया है। यह देखा गया है कि आयात कीमतों और घरेलू कीमतों के औसत के आधार पर कीमत कटौती नकारात्मक है। तथापि, घरेलू उद्योग तथा विदेशी उत्पादकों द्वारा अनेक भिन्न-भिन्न उत्पाद प्रकारों की बिक्री की जाती है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान कीमतों की प्रवृत्ति से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास हुआ है।

ii. कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी ह्रास करना तथा ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कीमतों तथा पंहुच मूल्य में हुए परिवर्तनों पर विचार किया।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध देशों से पंहुच मूल्य	रु./एमटी	6,84,637	5,92,397	4,60,718	4,01,159
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	87	67	59
घरेलू बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	55	40	41
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	104	80	68

78. उपर्युक्त से यह नोट किया गया है कि पंहुच मूल्य में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को अपने कीमत कम करने के लिए विवश होना पड़ा है। यह भी नोट किया गया है कि वर्ष 2022 से जाँच अवधि तक घरेलू बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम रही है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग ने कीमत ह्रास का दावा किया है क्योंकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्री मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

छ.3.3. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

79. नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार क्षति के निर्धारण में ऐसे आयातों से घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जॉंच शामिल होनी चाहिए। ऐसे आयातों के घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति से संबंधित सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक अथवा संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक तथा संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।

80. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

क. उत्पादन, बिक्री एवं क्षमता उपयोग

81. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	119	140	140
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	95	134	150
पीयूसी का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	91	131	147
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	80	96	107
घरेलू बिक्रियॉं	एमटी	***	***	***	***

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	107	130	158

82. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग जाँच अवधि के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में बढ़े हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उस अनुरोध को नोट किया है कि उसने संबद्ध वस्तु की कुल बिक्री लागत का लगभग ***% होने वाली अपनी स्थिर लागत को कम करने के प्रयोजनार्थ उच्च स्तर की क्षमता उपयोग पर उत्पादन जारी रखा। इस दृष्टिकोण ने कंपनी को संबद्ध देशों से कम कीमतों के बावजूद अपने संचालन को बनाए रखने में मदद मिली। यद्यपि उच्च क्षमता उपयोग के माध्यम से स्थिर लागत को कम किया गया, तथापि जैसा कि दर्शाया गया है, बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच का अंतर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातकों द्वारा किए गए आक्रामक कीमत निर्धारण के कारण कम नहीं किया जा सका। लाभप्रद स्तर की कीमत को बनाए रखने से बिक्री में कमी आती, जिससे औसत स्थिर लागत में वृद्धि होती और कंपनी के घाटे में और वृद्धि होती।

ii. बाजार हिस्सा

83. कथित पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जॉंच निम्नानुसार की गई है:

निम्न का बाजार हिस्सा	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	97	119	134
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	111	109	118
मांग में अन्य घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	118	112
मांग में संबद्ध देश के आयातों का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	98	68	97
मांग में अन्य देशों के आयातों का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	79	35	17

84. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जाँच अवधि में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी बताया है कि जाँच अवधि में मांग लगभग *** मीट्रिक टन बढ़ी है, जब इसकी तुलना तत्काल पूर्ववर्ती अवधि अर्थात् 2023-24 से की जाती है। इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात (*** मीट्रिक टन) ने इस बढ़ी हुई मांग के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि आयात में जो स्पष्ट गिरावट दिखाई देती है, उसका कारण यह है कि निर्यातकों में से एक अर्थात् ह्योसंग समूह ने भारत में संबद्ध वस्तु का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।

iii. <u>लाभ, निवेश पर आय तथा नकद लाभ</u>

85. लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
लाभ/हानि लाख रुपये	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	-45	-49	-20

लाभ/हानि प्रति एमटी	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	-42	-37	-13
मूल्यह्रास लाख रुपये	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	119	142	155
नकद लाभ लाख रुपये	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	-30	-31	-4
नियोजित पूंजी	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	114	121	119
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	-27	-24	-3

86. यह नोट किया गया है कि लाभप्रदता से संबंधित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग बिक्री की मात्रा बनाए रखने के लिए हानि वहन कर रहा है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2021-22 में लाभ कमा रहा था। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई और उसे 2022-23, 2023-24 तथा जाँच अवधि में वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा।

87. जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को नकद हानि हो रही है। आधार वर्ष में घरेलू उद्योग सकारात्मक आय अर्जित कर रहा था, किंतु उसके बाद से घरेलू उद्योग को नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है।

iv. <u>मालसूची</u>

88. घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध मालसूची की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	210	250	270
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	119	231	204
औसत मालसूची	**एमटी**	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	148	237	226

89. जाँच अवधि के दौरान आवेदक की मालसूची का स्तर उच्च रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यद्यपि उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है, तथापि उनकी अधिक मालसूची से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों से होने वाले आयात का क्षतिकारी प्रभाव पड़ा है।

v. <u>रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी</u>

90. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जाँच की है, जो निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	114	124	132
मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	127	126	133
मजदूरी/कर्मचारी	लाख रु./ संख्या	***	***	***	***

प्रवृति	सूचीबद्ध	100	111	101	101
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	91	131	147
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	83	109	113

91. नीचे दी गई तालिका से नोट किया जाता है:

i. जाँच अवधि में उत्पादकता पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में बढ़ी है।
ii. घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या क्षति जाँच अवधि के दौरान लगातार बढ़ी है।
iii. कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है।

vi. <u>वृद्धि</u>

92. लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नियोजित पूंजी पर आय तथा बाजार हिस्सेदारी जैसे मानदंडों में समग्र रूप में भी काफी प्रतिकूलता देखी गई है। उत्पादन तथा घरेलू बिक्री में वृद्धि के बावजूद, संबद्ध देशों से कम कीमत पर पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर हानि उठानी पड़ रही है।

विवरण	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
स्थापित क्षमता	%		19%	17%	0%
उत्पादन	%		-9%	44%	12%
घरेलू बिक्रियॉ	%		7%	21%	21%
लाभ/(हानि)	%		-145%	8%	-59%
नकद लाभ	%		-130%	-4%	88%
नियोजित पूंजी पर आय	%		-127%	10%	88%

vii. <u>पूंजी/निवेश जुटाने की क्षमता</u>

93. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार में अत्यधिक कम कीमत वाले आयात की उपस्थिति ने अतिरिक्त क्षमता विस्तार के लिए निवेश जुटाने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया है। यह अनुरोध किया गया है कि यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो उसका निवेश अत्यधिक अल्प-प्रयुक्त रह जाएगा और कोई नया निवेश नहीं आएगा।

viii. <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

94. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम से होने वाले आयात ने घरेलू उद्योग को बिक्री लागत से कम कीमत पर वस्तुएँ बेचने के लिए विवश कर दिया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे आयातों ने घरेलू कीमतों में काफी कटौती की है, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता तथा नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से पाटित आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की लागत तथा बिक्री कीमत दोनों से कम हैं। इस प्रकार, चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड से होने वाले आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

ix. <u>पाटन की मात्रा</u>

95. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि भारत में आयात किस सीमा तक पाटित किए जा रहे हैं और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कितनी क्षति हो रही है। संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन सकारात्मक पाया गया है।

ज. कारणात्मक संबंध तथा गैर-आरोपण विश्लेषण

96. नियमावली के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ यह जाँच करना आवश्यक है कि पाटित आयात के अलावा ऐसे कोई अन्य ज्ञात कारक तो नहीं हैं जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयात के कारण हुई क्षति के रूप में आरोपित न किया जाए। नीचे यह जाँच की गई है कि क्या पाटित आयात के अतिरिक्त अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा एवं कीमत

97. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से होने वाले आयात, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड को छोड़कर, व्यक्तिगत रूप से 3% से कम तथा सामूहिक रूप से भी 7% से कम हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि अन्य देशों से आयात *न्यूनतम स्तर* से कम हैं। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि कोरिया के प्रमुख उत्पादकों में से एक, अर्थात् टी.के. केमिकल्स, ने उत्पादन बंद कर दिया है और इसलिए उनसे आयात की कोई संभावना नहीं है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि टी.के. केमिकल्स से आयात को छोड़कर कोरिया से होने वाले अन्य आयात भी 3% से कम हैं। इसके अतिरिक्त, एक अन्य प्रमुख उत्पादक, अर्थात् ह्योसंग कॉर्पोरेशन**,** की कीमतें काफी अधिक हैं और पाटित नहीं की गई हैं और न ही क्षतिकारी हैं। जहाँ तक थाईलैंड का संबंध है, वहाँ से आयात की कीमतें भी अधिक हैं और वे भी न तो पाटित की गई हैं और न ही क्षतिकारी हैं। अतः ये आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते। इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	**मात्रा -एमटी**	**पंहुच मूल्य रुपये**	**कीमत रुपये/एमटी**	**आयातों का हिस्सा**
ह्योसंग कार्पोरेशन	122	5,70,07,818	4,67,898	2%
टीके टेक्निकल कार्पो.,	198	7,06,22,734	3,57,497	4%
कुल दक्षिण कोरिया	319	12,76,30,551	3,99,612	6%
थाई असाही केसेई स्पेनडैक्स कं. लि.	474	35,35,07,725	7,45,950	9%

ख. मांग में संकुचन और/या खपत की प्रवृति में परिवर्तन

98. भारत में मांग पूरी क्षति जाँच अवधि के दौरान बढ़ी है। अतः मांग में कमी को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

99. विचाराधीन उत्पाद की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं लाई गई हैं।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

ड़. उत्पादकता

101. प्रति दिन उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता जाँच अवधि में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में बढ़ी है और घरेलू उद्योग के वेतन एवं मजदूरी पूरी क्षति जाँच अवधि के दौरान समान रहे हैं। अतः यह नोट किया जाता है कि इस कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

च. निर्यात निष्पादन

102. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि उसने केवल नगण्य मात्रा में निर्यात किया है, अतः इसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग ने केवल घरेलू बिक्री के आधार पर क्षति का दावा किया है। अतः दावा की गई क्षति निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट के कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

103. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आँकड़ों पर विचार किया है। अतः अन्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

104. रिकार्ड में उपलब्ध समस्त जानकारी के आकलन के अनुसार, निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

क) जाँच अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है;

ख) सकारात्मक क्षति मार्जिन स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को उचित बिक्री कीमत प्राप्त नहीं हो रही है;

ग) आयात की मात्रा में वृद्धि तथा आयात कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग जाँच अवधि में घाटा उठाने के लिए बाध्य हुआ है;

घ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद लाभ जैसे कई कीमत-संबंधित आर्थिक मानदंडों में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो गई है।

105. अतः यह अवलोकन किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

<u>क्षति मार्जिन</u>

106. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी जाँच अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है, जिसे कार्यरत लेखाकार द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित किया गया है। एनआईपी की तुलना संबद्ध देशों से आयात की पंहुच कीमत के साथ की गई है ताकि क्षति मार्जिन की गणना की जा सके। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार, उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को भी ध्यान में रखा गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है।

107. उपर्युक्त रूप से निर्धारित पंहुच कीमत तथा एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

देश	**उत्पादक/ निर्यातक**	**मात्रा (एमटी)**	**एनआईपी (यूएसडी /एमटी)**	**पंहुच मूल्य (यूएसडी /एमटी)**	**क्षति मार्जिन (यूएसडी /एमटी)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**रेंज**
चीन	शिनजियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	**40-50**
	मेसर्स हांग्जो किंगयुन एडवांस्ड मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	25-35
	मेसर्स झूजीकिंगरोंग न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	40-50
	हांग्जो ग्रुप	***	***	***	***	***	**30-40**
	कोई भी प्रोड्यूसर	***	***	***	***	***	**50-60**
वियतनाम	एचएस ह्योसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	(-)5-15
	ह्योसंग डोंगनाई कंपनी	***	***	***	***	***	20-30
	ह्योसंग ग्रुप	***	***	***	***	***	**10-20**

	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	***	**25-35**

<u>क्षति संबंधी विश्लेषण</u>

108. संबद्ध उत्पाद के आयात तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन की जाँच से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात की मात्रा समग्र तथा सापेक्ष दोनों ही रूपों में बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं। पाटित तथा क्षतिकारी आयात के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है।

झ. <u>भारतीय उद्योग से संबंधित मुद्दे</u>

झ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध</u>

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. डाउनस्ट्रीम उद्योगों का तर्क है कि लागत में वृद्धि से घरेलू बाजारों में प्रतिस्पर्धी कीमत निर्धारण कम होने से प्रतिस्पर्धात्मकता घट सकती है।

ii. व्यापार उपचार उपाय घरेलू तथा डाउनस्ट्रीम उद्योगों दोनों में प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार और लागत को प्रभावित कर सकते हैं, अतः इनका आकलन व्यापक सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

iii. विचाराधीन उत्पाद स्ट्रेच-आधारित परिधानों के लिए एक आवश्यक इनपुट है, जिसके सीमित विकल्प उपलब्ध हैं, और पाटनरोधी शुल्क लगाने से इनपुट लागत बढ़ेगी तथा डाउनस्ट्रीम विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी।

iv. वस्त्र और परिधान क्षेत्र भारत के निर्यात और रोजगार में प्रमुख योगदान देता है, और इनपुट लागत में वृद्धि से उत्पादन, निर्यात और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

v. यह चिंता भी व्यक्त की गई कि आयातित सामग्री तक कम पहुँच उत्पाद की गुणवत्ता और निष्पादन को प्रभावित कर सकती है, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि तथा भारतीय विनिर्माताओं की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है।

झ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

110. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उत्पादकों के पास भारतीय मांग के लगभग 100% तक आपूर्ति करने की क्षमता है।

ii. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना सार्वजनिक हित में नहीं है, सही नहीं है क्योंकि पाटनरोधी ढाँचा स्वयं घरेलू उद्योग, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन स्थापित करता है, और शुल्क केवल तब लगाया जाता है जब पाटन, क्षति और उनके बीच कारणात्मक संबंध

स्थापित हो जाते हैं। वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क केवल उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करेगा, न कि आपूर्ति को सीमित करेगा या कीमतों को बढ़ाएगा।

iii. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए गणनाएँ प्रस्तुत की हैं कि प्रस्तावित शुल्क का अंतिम उत्पाद की कीमत पर 0.5% से भी कम प्रभाव पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से नगण्य है और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं या उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा।

iv. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि ऐतिहासिक कीमत निर्धारण के प्रमाण दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की उपस्थिति के कारण कीमतें वर्ष 2010 में लगभग 14 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से घटकर वर्ष 2023 में लगभग 4 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम रह गई हैं। इससे खपत का विस्तार हुआ, वहनीयता में सुधार हुआ और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को लाभ मिला। यह दर्शाता है कि एक सुदृढ़ घरेलू उद्योग सार्वजनिक हित को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे मजबूत करता है।

v. वैश्विक उत्पादकों जैसे ह्योसंग द्वारा भारत में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना यह दर्शाती है कि एक स्थिर और निष्पक्ष व्यापार-उपचार व्यवस्था निवेश को प्रोत्साहित करती है, घरेलू आपूर्ति को सुदृढ़ बनाती है, रोजगार सृजित करती है और आपूर्ति सुरक्षा को बढ़ाती है, जो सभी व्यापक सार्वजनिक हित के अनुरूप हैं।

vi. यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग के पास अपने प्रचालन को स्थायी रूप से बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा और भारत पुनः आयात पर निर्भर हो जाएगा।

vii. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि ये शुल्क एक महत्वपूर्ण घटक के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे तथा इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रोजगार सृजित होंगे। अतः ये शुल्क भारतीय प्रयोक्ताओं के हित में हैं।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉंच

111. प्राधिकारी इस बात पर बल देते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन जैसी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिल सके। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित करना नहीं है। बल्कि यह पाटन, क्षति तथा दोनों के बीच कारणात्मक संबंध के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित होता है और समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को लगाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की मूल भावना प्रभावित नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने पर रोक लगती है और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के व्यापक विकल्प तक पहुँच सुनिश्चित होती है। अतः पाटनरोधी शुल्क उचित व्यापार प्रथाओं के लिए बाधा नहीं, बल्कि एक सहायक उपाय है।

112. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य शामिल हैं, से विचार आमंत्रित करते हुए जाँच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, ताकि वे वर्तमान जाँच के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त, एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी विहित की गई, जिससे घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारक चल रही जाँच तथा पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें।

113. प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग, घरेलू उद्योग की आपूर्ति स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव तथा ऐसे कारक जो पाटनरोधी शुल्क को लगाने से उत्पन्न नई स्थिति के अनुरूप समायोजन की प्रक्रिया को तेज या धीमा कर सकते हैं, के संबंध में सूचना मांगी थी।

114. प्रयोक्ताओं पर शुल्क के उच्च प्रभाव के संबंध में यह नोट किया गया है कि प्रयोक्ताओं ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि इससे उनके वित्तीय निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या अंतिम उपभोक्ता पर इसका क्या प्रभाव होगा। अपने दावे के समर्थन में कोई विश्लेषण/आँकड़े/गणना भी प्रस्तुत नहीं की गई। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव का एक अनुमान निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया है:

ब्योरा	**प्रयुक्त फेब्रिक प्रकार**	**औसत कीमत/यूनिट**	**स्पेनडेक्स कंटेंड का मूल्य**	**20% की शुल्क दर से लागत में वृद्धि**	**प्रभाव**
		आईएनआर	**%**	**आईएनआर**	**%**
जुराबों की जोड़ी	निटेड	***	***	***	0.15%
स्ट्रेच डेनिम (फेब्रिक)	वोवन	***	***	***	0.25%
सूटिंग फेब्रिक	वोवन	***	***	***	0.08%
लेडिज ब्रेशरी	वोवन/निट्स	***	***	***	0.10%
टी-शर्ट	निटेड	***	***	***	0.14%
जीन्स	वोवन	***	***	***	0.07%
लेगिंग	निटेड	***	***	***	0.26%

स्रोत: घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन।

115. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में संबद्ध वस्तु की कमी नहीं होगी। यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर उपलब्ध हों। अतः शुल्क को लागू करने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

116. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पूर्वोक्त आर्थिक मानदंड गंभीर क्षति का संकेत देते हैं, जो प्रभावी सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

ञ. <u>प्रकटन पश्चात अनुरोध</u>

117. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और यह नोट किया जाता है कि उठाए गए अधिकांश मुद्दे दोहराए गए हैं और पहले ही उठाए जा चुके हैं और उन्हें भी उचित रूप से हल किया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

ञ.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

118. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. यह कि कीमत प्रभाव विश्लेषण को भाग लेने वाले निर्यातकों के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि एकत्रित डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि बाद में उत्पाद विशेषताओं और कीमत व्यवहार को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। यह भी आशंका व्यक्त की गई कि चीन जन.गण. के कुछ निर्यातकों ने जांच से बचने

के लिए 150 डेनियर्स से ऊपर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) गलत घोषित की होगी, विशेष रूप से पूर्व की जांच में 150 डेनियर्स से नीचे के पीसीएन को शामिल किया गया था, जहां अधिकांश मांग मौजूद हैं। इसलिए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वह आयात के वास्तविक कीमत प्रभाव को निर्धारित करने के लिए निर्यातकों के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर विस्तृत पीसीएन-वार कीमत तुलना करें।

ख. यह कि वाणिज्यिक वास्तविकता में, घरेलू उद्योग को बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए आयात की पहुंच मूल्य के साथ अपनी कीमतों को संरेखित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास और लाभप्रदता कम हुई है। इसने यह भी विशिष्ट रूप से कहा कि जांच की अवधि के दौरान बढ़ती लागत ने इसकी वित्तीय स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे बढ़ती लागत और कम कीमत वाले आयात के कारण लगातार कीमत ह्रास के कारण दोहरा दबाव पैदा हुआ है।

ग. यह कि प्राधिकारी को सत्यापित निर्यातक के आंकड़ों के आधार पर कीमत प्रभाव विश्लेषण पर फिर से विचार करना चाहिए और अंतिम जांच परिणामों में, पाटन के मौजूद रहने, घरेलू उद्योग को क्षति और इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि करनी चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया था कि प्रयोक्ता उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम होगा, जबकि एक स्थिर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, और प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों का अगोपनीय रूपांतर साझा करें।

ञ.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह कि प्रकटन विवरण पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है क्योंकि प्राधिकारी ने अपने निर्धारण का आधार बनाने वाले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन नहीं किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत (सीओपी), पहुंच कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित कार्य-पद्धति और विस्तृत गणना साझा नहीं की गई है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि डीजीटीआर ने सीओपी का निर्धारण करते समय रिपोर्ट किए गए लागत आंकड़ों में कई समायोजन किए हैं; हालांकि, गणना शीट के साथ ऐसे समायोजन के आधार और तर्क प्रदान नहीं किए गए हैं, जिससे निर्यातकों को गणनाओं को सत्यापित करने और सार्थक टिप्पणियां देने से रोका जा रहा है।

ख. यह कि निर्यातकों को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों की सराहना करने में सक्षम नहीं हैं, वह भी तब जब जांच के दौरान कोई कमी या स्पष्टीकरण पत्र जारी नहीं किया गया था। चूंकि ये संशोधन सीधे मार्जिन और शुल्कों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका गैर-प्रस्तुतीकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

ग. निर्यातकों ने चिंता जताई है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के संबंध में और इसकी फिर से जांच करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह उनके मार्जिन गणना को भी प्रभावित करता है।

घ. यह कि ह्योसुंग इंडिया प्रा. लि. को संबद्ध देश के निर्यातकों के साथ उसके संबंध के कारण नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया है, जिससे क्षति विश्लेषण में एक

बड़ा अंतर पैदा हो गया है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि एचआईपीएल विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र अन्य भारतीय उत्पादक है और उसने पीओआई के दौरान पर्याप्त वृद्धि दिखाई है। यह तर्क दिया गया था कि यदि एचआईपीएल के आंकड़ों को क्षति विश्लेषण में शामिल किया गया होता, तो घरेलू उत्पादकों के संयुक्त निष्पादन से क्षति का संकेत नहीं मिलता।

ड. यह कि कुल आयात आँकड़ों से दक्षिण कोरिया के आयात को बाहर करने से संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी के आकलन में विकृति आई है और इस तरह के आयात को शामिल करने से वियतनामी आयात की हिस्सेदारी न्यूनतम सीमा से नीचे आ जाएगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वियतनाम से आयात में गिरावट का रुझान देखा गया है और इसलिए इसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया था कि कीमत में कटौती नकारात्मक है, जो इंगित करती है कि इन आयातों कारण घरेलू कीमतों पर दबाव नहीं पड़ा रहा है, और यह कि घरेलू कीमतों में गिरावट संबद्ध आयातों के बजाय ह्योसुंग इंडिया से प्रतिस्पर्धा के कारण है।

च. यह कि विचाराधीन उत्पाद डाउनस्ट्रीम वस्त्र उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, और शुल्क लगाने से उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, भारतीय वस्त्र निर्माताओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी और आपूर्ति बाधाएं उत्पन्न होंगी। उन्होंने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग प्रमुख उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए प्राथमिक आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, और आयात का सहारा केवल तभी लिया जाता है जब विशिष्ट अस्वीकार विनिर्देश घरेलू स्तर पर अनुपलब्ध हों या जब घरेलू आपूर्ति अपर्याप्त हो। अंत में, यह तर्क दिया गया कि शुल्क लगाने से इंडोरामा और एचआईपीएल के बीच घरेलू बाजार में एकाधिकार पैदा हो सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा, कीमत निर्धारण और आपूर्ति की स्थिति संभावित रूप से प्रभावित हो सकती है।

छ. निर्यातकों ने तर्क दिया कि दिसंबर 2016 में डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (ii) की समाप्ति के बाद चीन जन.ण. पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का निरंतर प्रयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य मूल्य को प्रतिनिधिक देश पद्धति के बजाय वास्तविक घरेलू कीमतों और चीनी निर्यातकों की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

ज. यह कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, जबकि चीन जन.गण. से आयात में मामूली वृद्धि हुई है और वियतनाम से आयात में गिरावट आई है। उनके अनुसार, ये रुझान बताते हैं कि आयात ने घरेलू उत्पादन को विस्थापित नहीं किया है। यह तर्क दिया गया था कि घरेलू उद्योग की वित्तीय कठिनाइयां पाटित आयातों के बजाय उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, परिचालन अक्षमताओं, ओवरहेड खर्च और कच्चे माल की कीमत में अस्थिरता जैसे आंतरिक कारकों के कारण हैं।

झ. यह कि क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल को अपनाना, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के तहत उचित प्रतिफल की आवश्यकता के साथ अत्यधिक और असंगत है तथा इसके फलस्वरूप क्षति का मार्जिन बढ़ जाता है।

ञ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध प्रकृति में दोहराव वाले हैं और पहले ही प्रकटन विवरण के अंतिम जांच परिणामों में हल किए गए थे। उपरोक्त जांच परिणाम

स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों से संबंधित हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने यहां नीचे हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है जो संगत हैं और कहीं और हल नहीं किए गए हैं।

121. कीमत प्रभाव विश्लेषण की पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भाग लेने वाले निर्यातकों के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पीसीएन-वार तुलना आयात के कीमत व्यवहार का अधिक सटीक आकलन प्रदान करती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित जानकारी के आधार पर विश्लेषण भी किया है, जबकि कीमत कटौती का विश्लेषण किया है ताकि वास्तविक बाजार की स्थिति और घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कीमत प्रभाव को उचित रूप से दर्शाया जा सके।

122. विश्लेषण के बाद, जब घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना भाग लेने वाले निर्यातकों के लैंडेड मूल्य से की गई, तो यह पाया गया कि समग्र विषय देशों और चीन से मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक है, जबकि वियतनाम से अंडरकटिंग नकारात्मक है। मूल्य अंडरकटिंग के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए विषय देशों के निर्यातकों द्वारा दी जा रही कीमतों के अनुरूप कीमतें मिलाने के लिए मजबूर है। सकारात्मक मूल्य दबाव ने घरेलू उद्योग की अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर दिया है।

123. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि उसे बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए आयात के पहुंच मूल्य के साथ अपनी कीमतों को संरेखित करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कीमत का ह्रास हुआ है और लाभप्रदता में कमी आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के संगत अनुभागों में घरेलू उद्योग की कीमत और लाभप्रदता पाटित आयातों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों को इन अंतिम जांच परिणामों में उचित स्थानों पर हल किया गया है।

124. घरेलू उद्योग के कीमत प्रभाव विश्लेषण पर फिर से विचार करने और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के होने की पुष्टि करने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैा कि इन अनुरोधों की विधिवत जांच की गई हैं। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर सत्यापित जानकारी के आधार पर पाटित आयातों प्रभावों और संबंधित कीमत प्रभावों का विश्लेषण किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों को इन अंतिम जांच परिणामों में उचित स्थानों पर हल किया गया है।

125. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कार्य-पद्धति और विस्तृत गणना के प्रकटन न करने के कारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 का उल्लंघन करते हुए यह प्रकटन विवरण जारी किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आरोप गलत हैं। सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और उत्पादन लागत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के अनुसार भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित जानकारी के आधार पर किया गया है और उनकी लेखा बहियों में संधारित किया गया है। प्राधिकारी ने केवल ऐसे सत्यापित रिकॉर्ड पर भरोसा किया है, जो निर्यातकों द्वारा डेस्क सत्यापन के दौरान प्रस्तुत और स्पष्ट किए गए हैं। इसके अलावा, प्रकटन विवरण में निर्यात कीमत, उत्पादन लागत और पहुंच मूल्य सहित संगत मापदंडों, जो ह्योसुंग समूह पर लागू था, जिससे निर्यातकों को आवश्यक तथ्यों की पर्याप्त जानकारी मिली जो नियम 16 के तहत अपेक्षित निर्धारण का आधार बनती है।

126. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातकों ने वास्तव में प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दर्ज की हैं और प्राधिकारी के साथ बातचीत करने की भी मांग की है, जिसे विधिवत मान लिया गया था। इस प्रकार, निर्यातकों को जांच के दौरान और प्रकटन विवरण जारी होने के बाद दोनों ही समय अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए नियमावली के तहत अनिवार्य पूर्ण और सार्थक अवसर प्रदान किए गए थे। उपरोक्त को

देखते हुए, प्राधिकारी इस तर्क में कोई तथ्य नहीं पाते हैं कि उचित अवसर से इनकार किया गया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। प्राधिकारी ने केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया है और भाग लेने वाले निर्यातकों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया है; तदनुसार, उठाया गया तर्क गलत है और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

127. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने पूर्व पत्राचार के बिना लागत और मार्जिन गणना में संशोधन किया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की प्रक्रिया के दौरान निर्यातकों को पूर्ण और सत्यापन योग्य जानकारी प्रस्तुत करने का पूरा अवसर प्रदान किया गया था, जिसकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत जांच और सत्यापन किया गया था। लागत और कीमत मापदंडों का निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई जानकारी का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करने और सटीकता, स्थिरता और आंकड़ों की तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक आवश्यक हो, उचित समायोजन करना अपेक्षित है। इसलिए, केवल कमी पत्र की अनुपस्थिति प्राधिकारी को आंकड़ों की जांच करने और सत्यापित रिकॉर्ड के आधार पर उचित समायोजन करने से नहीं रोकती है।

128. बिक्री व्यय के आवंटन से संबंधित आरोप के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन की लागत का उचित और सुसंगत निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित आंकड़ों और मामले के तथ्यों के आधार पर लागत विश्लेषण किया गया है। प्राधिकारी निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित आवंटन पद्धति को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है जहां यह रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़ों के साथ अनुपयुक्त या असंगत पाया जाता है। प्राधिकारी ने सत्यापित जानकारी और पाटनरोधी नियमावली की आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त मानी जाने वाली कार्य-पद्धति को अपनाया है। तदनुसार, प्राधिकारी को लागत संरचना के कथित विकृति और प्रचालन कार्य-पद्धति मैनुअल के साथ असंगति के संबंध में निर्यातकों का तर्क बिना किसी योग्यता के पाया गया है।

129. जहां तक पैकिंग की लागत के बारे में तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते है कि निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत लागत और कीमत की जानकारी की विधिवत जांच की गई थी और जांच की प्रक्रिया के दौरान क्रॉस-चेक किया गया था। प्रकटन विवरण पर निर्यातकों की टिप्पणियों की प्राप्ति पर, प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा उनके प्रश्नावली उत्तरों और बाद के अनुरोधों में दावा किए गए समायोजन की फिर से जांच की। इस तरह की जांच के आधार पर, प्राधिकारी ने पैकिंग लागत के उपचार को सत्यापित किया है और जहां भी विश्लेषण में उपयोग किए गए लागत और कीमत मापदंडों के बीच स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना गया है, उचित समायोजन किया है।

130. तदनुसार, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन गणना में जहां भी आवश्यक हुआ, संशोधित आंकड़ों को शामिल किया है। संशोधित संख्याएं ऊपर उल्लिखित पाटन मार्जिन निर्धारण में प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए, प्राधिकारी इस तर्क में कोई तथ्य नहीं पाते हैं कि पैकिंग लागत के उपचार के कारण निर्धारण दोहरी गिनती या विकृति से ग्रस्त है।

131. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने कुछ विनिर्माण लागतों के लिए सीओजीएस आंकड़ों और एसजीएंडए और वित्तीय खर्चों के लिए परीक्षण शेष आंकड़ों पर भरोसा करके एक मिश्रित कार्य-पद्धति अपनाई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागत निर्धारण निर्यातकों द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में बनाए गए सत्यापित वित्तीय और लागत रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत जानकारी की जांच की है, जिसमें लागत विवरण और परीक्षण शेष शामिल हैं, कि विचार किए गए लागत तत्व संगत, विश्वसनीय और निर्यातकों के ऑडिट किए गए वित्तीय रिकॉर्ड

द्वारा समर्थित हैं। जहां आवश्यक हुआ, प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत का हिस्सा बनाने वाले लागत आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण शेष राशि के आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह की जांच और वित्तीय और लागत रिकॉर्ड का मिलान पाटनरोधी जांच में मानक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। तदनुसार, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई तथ्य नहीं पाते हैं कि अपनाई गई कार्य-पद्धति के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के लिए जिम्मेदार लागत में कोई विकृति आई है।

132. सभी आवश्यक तथ्यों तथा उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, शुद्ध निर्यात मूल्य सहित किए गए प्रमुख परिवर्तनों का विधिवत प्रकटीकरण उत्पादकों/निर्यातकों को किया गया। निर्यातक (ह्योसंग समूह) के अनुरोध पर, उन्हें प्रकटीकरण जारी होने के बाद अपने मुद्दों को प्राधिकरण के समक्ष स्पष्ट करने का अवसर भी प्रदान किया गया। निर्यातकों ने अपने लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई वास्तविक लागत उपलब्ध होने के बावजूद बिक्री मूल्य अनुपात के आधार पर कुछ ओवरहेड लागत प्रस्तुत की। प्राधिकरण की स्थापित प्रथा के अनुसार, उत्पादन लागत का निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर किया गया है, जो लागत निर्धारण के सिद्धांतों के अनुरूप है। लागत के आवंटन की पद्धति केवल उन मामलों में अपनाई जाती है, जहां इकाइयाँ उत्पाद के लिए वास्तविक लागत का अभिलेख नहीं रखती हैं। हालांकि, इस मामले में निर्यातक वास्तविक लागत का अभिलेख रख रहा है और उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत भी किया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक ओवरहेड, वित्त लागत तथा अप्रत्यक्ष विक्रय ओवरहेड से संबंधित वास्तविक लागत का विवरण निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे विचार में लिया गया है।

133. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, उनके अनुरोध के आधार पर, प्रकटीकरण वक्तव्य जारी होने के पश्चात निर्यातक को उत्पादन लागत के निर्धारण पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया गया। हालांकि, निर्यातक यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहा कि उनके लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित वास्तविक लागत को क्यों नहीं माना जाना चाहिए।

134. जहां तक क्षति के अंतर निर्धारण में कथित असंगति से संबंधित तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के अंतर की गणनाओं की विधिवत पुन: जांच और क्रॉस-चेकिंग की गई है। जहां भी आवश्यक हुआ, सत्यापित पीसीएन-वार आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्य-पद्धति के आधार पर क्षति मार्जिन तालिका में आवश्यक सुधार किए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी को इस आरोप में कोई तथ्य नहीं मिलता है कि क्षति मार्जिन निर्धारण किसी गणितीय असंगति से ग्रस्त है।

135. जहां तक पूर्ण संगणना शीट और कार्य-पद्धति के प्रकटन के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में पहले ही नियम 16 के अनुसार प्रस्तावित निर्धारण का आधार बनाने वाले आवश्यक तथ्यों को प्रदान किया गया है। प्राधिकारी ने भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है और पैकिंग लागत, खर्चों के आवंटन और क्षति मार्जिन गणना से संबंधित टिप्पणियों सहित प्राप्त टिप्पणियों की विधिवत जांच की है। जहां भी आवश्यक सत्यापन और सुधार की आवश्यकता है, वहां प्राधिकारी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। तदनुसार, प्राधिकारी पाते हैं कि उत्तरदाता को सत्यापन के बाद भी पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, और इसलिए, आगे के प्रकटन या पुनर्विचार का अनुरोध विचार या स्वीकृति के योग्य नहीं है।

136. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की परिभाषा से ह्योसुंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचआईपीएल) को बाहर करना पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की अनिवार्य आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से अनुरूप है, क्योंकि एचआईपीएल ने स्वीकार किया है कि वह विचाराधीन उत्पाद का आयात करता है और संबद्ध देशों के निर्यातकों के साथ संबंध रखता है। ऐसी परिस्थितियों में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग

के दायरे का निर्धारण करते समय उक्त कंपनी को बाहर करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इसके अलावा, एचआईपीएल ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसको पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात की उपस्थिति घरेलू उत्पादकों को क्षति के होने को नकारती नहीं है। तदनुसार, इस मुद्दे पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में तथ्यों और कानून, दोनों दृष्टि से कोई दम नहीं है और इसलिए आगे इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

137. जहां तक इन तर्कों का संबंध है कि प्रयोक्ताओं की प्रकटन विवरण में पहले ही व्यापक रूप से जांच कर ली गई है। इसमें यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि वियतनाम से आयात न्यूनतम सीमा से ऊपर है और भारतीय बाजार में पाटित किए गए और क्षतिकारक कीमतों पर प्रवेश कर रहे है। इसके अलावा, कीमत प्रभावों और क्षति के आकलन को रिकॉर्ड पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जो घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयात के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। तदनुसार, प्रयोक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क केवल प्रकटन विवरण में पहले से ही हल मुद्दों को दोहराते हैं और इसलिए किसी भी आगे विचार की आवश्यकता नहीं है।

138. जहां तक प्रयोक्ताओं द्वारा डाउनस्ट्रीम वस्त्र उद्योगों पर शुल्क के संभावित प्रभाव के संबंध में किए गए अनुरोधों का सवाल है, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने न तो यह बताया है कि शुल्क उनके प्रचालन को कैसे प्रभावित करेगा और न ही उन्होंने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रभाव विश्लेषण गलत है। इसके अलावा, पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों को हल करना और घरेलू बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करना है, न कि प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा आवश्यक वैध आयात को प्रतिबंधित करना। जांच ने यह सिद्ध किया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। तदनुसार, आपूर्ति बाधाओं, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता या एक दोहरे अधिकार वाले बाजार के निर्माण के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं प्रकृति में काल्पनिक की प्रकृति की हैं और इनके समर्थन में रिकॉर्ड पर साक्ष्य नहीं हैं।

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई स्थापित कार्य-पद्धति के अनुरूप हैं। लागू कानूनी ढांचे के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। तदनुसार, इस संबंध में निर्यातकों का तर्क उचित नहीं है।

140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के संगत आर्थिक मापदंडों और क्षति की अवधि के दौरान पाटित किए गए आयात के मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच करने के बाद वास्तविक क्षति का निर्धारण किया गया है। रिकॉर्ड पर विश्लेषण से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पाटित किए गए आयात का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, यह तर्क कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है, रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटित किए गए आयात के अलावा अन्य कारकों के संभावित प्रभाव की जांच की गई है। हालाँकि, विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति निर्यातकों द्वारा लगाए गए आंतरिक कारकों के कारण नहीं, बल्कि आयातित माल के पाटन के कारण हुई है।

142. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल अपनाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III और प्राधिकारी की सतत कार्य-पद्धति के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, निर्धारित किया गया है। इसलिए इस तर्क में दम नहीं है।

ट. <u>निष्कर्ष</u>

143. प्राधिकारी कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान उठाए गए मुद्दों, सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और रिकॉर्ड पर तथ्यों और साक्ष्यों की जांच करने के बाद, निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं:

क. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "सभी डेनियर्स का इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" है। निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

i. काले रंग को छोड़कर रंगीन इलास्टोमेरिक यार्न;
ii. बीम पर इलास्टोमेरिक यार्न;
iii. "एलवाईसीआरए आर" के ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तु
iv. डायपर के लिए इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न

ख. इन फिलामेंट यार्न को आमतौर पर स्पैंडेक्स या इलास्टेन के रूप में भी जाना जाता है। संबद्ध वस्तुओं का वर्णन डेनियर के संदर्भ में किया गया है और आम तौर पर 10 से 1680 डेनियर की सीमा में बेचा जाता है। घरेलू उद्योग में इन सभी प्रकार के डेनियर का उत्पादन करने की क्षमता है

ग. उत्पाद विभिन्न पीसीएन में बेचा जाता है और दो प्रकार के उत्पादों के बीच उचित तुलना के लिए उन पीसीएन पर विचार किया गया है ताकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का उचित निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके।

घ. संबद्ध उत्पादों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय शीर्ष 54 "मानव निर्मित तंतु; मानव निर्मित वस्त्र सामग्री की पट्टियाँ और इसी तरह" के तहत वर्गीकृत किया गया है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 54041100 है, भले ही उन्हें सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 5402, 5403 और 5404 के तहत वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद का विवरण विरोध की परिस्थितियों में भी लागू रहता है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं और संबद्ध देश से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुएं पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के संदर्भ में एक दूसरे के समान वस्तु हैं।

च. आवेदक जांच अवधि में पात्र घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा रखता है। इसके अलावा, आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है और आवेदन नियमावली के नियम 5 (3) के तहत आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

छ. चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में काम करने वाला माना गया है। इसके अलावा, भाग लेने वाले निर्यातकों में से किसी ने भी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित इस अनुमान का खंडन नहीं किया है।

ज. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की अनुकूलित लागत के आधार पर उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभों के साथ गणना की गई है। वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य के वास्ते, प्राधिकारी ने उचित समायोजन करने के बाद भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा दायर सत्यापित आंकड़ों का उपयोग किया है

झ. प्राधिकारी ने भाग लेने वाले निर्यातकों के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

ञ. सामान्य मूल्य की निर्यात मूल्य के साथ तुलना से यह दर्शाता है कि देश में उत्पाद का पर्याप्त स्तर पर डंपिंग किया जा रहा है।

ट. आयात की मात्रा में पूर्ण तथा सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से वृद्धि हुई है।

ठ. घरेलू उद्योग की कीमतों की भाग लेने वाले निर्यातकों के लैंडेड मूल्य से तुलना करने पर यह पाया गया कि समग्र विषय देशों तथा चीन से मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक है, जबकि वियतनाम से अंडरकटिंग नकारात्मक है। मूल्य अंडरकटिंग के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए विषय देशों के निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों से मेल करने के लिए बाध्य है। सकारात्मक मूल्य दबाव ने घरेलू उद्योग की अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर दिया है।

ड. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान मूल्य दमन (प्राइस सप्रेशन) का सामना किया है।

ढ. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के भंडार (इन्वेंट्री) का स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

ण. क्षति मानकों से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को मात्रा (वॉल्यूम) तथा कीमत दोनों के संदर्भ में क्षति हुई है।

त. चूंकि घरेलू उत्पादकों के पास निष्क्रिय क्षमता उपलब्ध है, अतः आपूर्ति के संदर्भ में क्षमता कोई बाधा नहीं है।

थ. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानक दर्शाते हैं कि बिक्री मात्रा बनाए रखने के लिए उद्योग को हानि उठानी पड़ी है। यह भी देखा गया कि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था। तथापि, वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा जांच अवधि के दौरान इसकी लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई और इसे वित्तीय हानियों का सामना करना पड़ा।

द. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकद हानि (कैश लॉस) हो रही है। आधार वर्ष में घरेलू उद्योग सकारात्मक प्रतिफल अर्जित कर रहा था, किंतु उसके बाद से नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ है।

ध. जांच में ऐसा कोई अन्य कारक प्रदर्शित नहीं हुआ है, जो पाटित आयातों के अतिरिक्त घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण हो।

न. अंतिम निष्कर्षों में किए गए विस्तृत परीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि विषय देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति (मैटेरियल इंजरी) हुई है।

प. अनुशंसित एंटी-डंपिंग शुल्क का डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रभाव नगण्य है। एंटी-डंपिंग शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि आयात भारतीय बाजार में उचित कीमतों पर प्रवेश करें तथा विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान प्रतिस्पर्धा का स्तर (लेवल प्लेइंग फील्ड) बना रहे।

फ. एंटी-डंपिंग शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा तथा यह व्यापक जनहित के अनुरूप होगा।

ठ. <u>सिफारिशें</u>

144. प्राधिकारी नोट करते कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया और घरेलू उद्योग, ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति , कारणात्मक संबंध और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन, क्षति और पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और इसे पूरा किए जाने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

145. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति को दूर करने के लिए पाटन के कमतर मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	प्रशुल्क शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	यूओएम	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54024400 और 5404110*	इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शिनशियांग केमिकल फाइबर कं, लिमिटेड	1,664	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	हैंग्जो किंगयुन एडवांस्ड मैटेरियल्स कं, लिमिटेड	880	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	झुजी किंगरोंग न्यू मैटेरियल्स कं, लिमिटेड।	880	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से 3 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	2,033	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और वियतनाम को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	2,033	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	एचएस ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड	794	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	ह्योसुंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड	794	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	क्र.सं. 6 और 7 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	1,262	एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और वियतनाम	वियतनाम	कोई	1,262	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	प्रशुल्क शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	यूओएम	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			को छोड़कर कोई देश					

** सभी डेनियर्स का इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न। निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:*

i. काले रंग को छोड़कर रंगीन इलास्टोमेरिक यार्न;
ii. बीम पर इलास्टोमेरिक यार्न;
iii. "एलवाईसीआरए आर" के ब्रांड नाम वाली संबद्ध वस्तु
iv. डायपर के लिए इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न

**सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

नोट:
उपरोक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट अलग अलग शुल्क दरों को लागू करना सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित घोषणा दिखाई देगी, जो उसके नाम और कार्य से पहचाना जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित रूप से तैयार किया गया है: "मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस बीजक द्वारा शामिल किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (उत्पाद की मात्रा) का निर्माण (कंपनी का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।" यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी कंपनियों पर लागू शुल्क, लागू होगा।

यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमावली के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं को हानि नहीं पहुंचाती है।

ड. आगे की प्रकिया

146. इन जांच परिणामों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी

*****